पंचम माला, खंड 62, अंक 41
Fifth Series, Vol. LXII, No. 41

मंगलवार, 18 मई, 1976/28 वैशाख, 1898 (शक)
Tuesday, May 18, 1976/Vaisakha 28, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[16 वा सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं / Vol. LXII contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी म अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches, etc., in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

पंचम माला, खंड 62, अंक 41, मंगलवार, 18 मई, 1976/28 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol LXII, No.41, Tuesday, May 18, 1976/Vaisakha 28,1898(Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1–3
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की अ ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance—	
पश्चिम बंगाल में दस से अधिक पटसन मिलों के कथित बंद होने का समाचार	Reported closure of more than ten Jute mills in West Bengal	3–7
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	3–6
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	6–7
इस्लामाबाद में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता के बारे में वक्तव्य—	Statement on Talks between India and Pakistan held at Islamabad—	7–12
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	7–12
विशेषाधिकार समिति—	Committee on Privileges—	
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए समय का बढाया जाना।	Extension of time for presentation of Report	13
राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक	National Library Bill	13–25
विचार करने का प्रस्ताव संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee	
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	13–14
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	14
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	14–15
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	16
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	16–18
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	18–20
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mhajan	20–21
श्री एम० राम गोपालन रेड्डी	Shri M. Ram Gopalan Reddy	21
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	21
खण्ड 2 स 31 और 1—	Clauses 2 to 31 and 1—	
पारित करने के प्रस्ताव, संशोधित रुप में	Motion to pass, as amended	
प्रो० एस० नरुल हसन	Prof. S. Nurual Hasan	21–85

1—2 LSS(ND)/76

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
चाय (संशोधन) विधेयक—	Tea (Amenndment) Bill—	26–36
विचार करने का प्रताव	Motion to consider	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	26
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya	26–27
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschoudhury	27–28
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	28–29
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	29
श्री टुना उरांव	Shri Tuna Oraon	29
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	29–30
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	30–31
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	31
खण्ड 2 और 1—	Clauses 2 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित	Motion to pass, as amended	
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	31–36
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—	Workmen's Compensation (Amendment) Bill—	36–38
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रुप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddy	36–37
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail	37
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	37–38
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	38

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 18 मई, 1976/28 वैशाख, 1898 (शक)
Tuesday, May 18, 1976/Vaisakha 28, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair.]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दू विवाह अधिनियम तथा तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विवरण

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० एं० सैयदमुहम्मद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति, द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० संख्या 2066 की एक प्रति जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके, द्वारा तमिलनाडु हिन्दू विवाह (पंजीकरण) नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10865/76]

(2) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी; 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम, 1959 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० संख्या 187 (एस० आर० ओ० ए–77/76) जो दिनांक 18 फरवरी; 1976 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1961 को अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ए—826 में प्रकाशित "लेखा-परीक्षक नियुक्ति नियम" में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 10866/76]

30 जून, 1975 के समाप्त हुए वर्ष के लिये मद्रास रिफाईनरीज लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मनाली, मद्रास के 30 जून, 1975 को समाप्त हुए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड मनाली, मद्रास के 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10867/76]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के बारे में प्रतिवेदन तथा एक विवरण

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक-एक प्रति :—

(एक) लागत लेखा अभिलेख (रंजक) नियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 605 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (रेयन) नियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 606 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10868/76]

(2) (एक) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 1974 की अवधि के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों को लागू करने सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10869/76]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष, 1973—74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10870/76]**

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में 10 से अधिक पटसन मिलों का कथित बन्द होना

श्री दोनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पिछले कुछ सप्ताहों में पश्चिम बंगाल में दस से अधिक पटसन मिलों का कथित बंद होना तथा उससे देश की अर्थव्यवस्था तथा रोजगार की स्थिति पर प्रभाव पड़ना।"

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, पटसन उद्योग का देश के औद्योगिक ढांचे और निर्यात क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग का फलना-फूलना काफी हद तक निर्यात की संभाव्यताओं पर निर्भर करता है। जैसा कि इस सदन में हाल ही में मैंने बताया था, पटसन के माल के निर्यातों के परिणाम में गिरावट आई है। इस घटना से उद्योग की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है।

विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इस समय बन्द पड़ी पटसन मिलों का ब्यौरा दिया गया है। कानपुर में स्थित एकक को छोड कर सभी एकक पश्चिम बंगाल में हैं जहां सबसे अधिक पटसन मिलें हैं। इस समय बन्द पड़े एककों से सम्बन्ध मजदूरों की संख्या 31000 है। सरकार इन मिलों के बन्द हो जाने तथा उसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में मजदूरों का रोजगार खत्म हो जाने के कारण गम्भीर रूप से चिन्तित है।

तथापि, मिलों के बन्द होने के कारण विविध और जटिल हैं। सभा पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट होगा कि जो 10 मिलों जो इस समय बन्द पड़ी हुई हैं उनमें से कानपुर जूट उद्योग और खरदाह नाम की दो मिलें 1975 से बन्द पड़ी हुई है। शेष आठ मिलों में से, जो 1975 में बंद हुई हैं, 5 मिलें श्रमिक अशान्ति के कारण बन्द हुई ह; एक मिल अपने क्षति पहुंचने के कारण बन्द हुई है; एक दूसरी मिल वित्तीय कठिनाइयों और श्रमिक अशान्ति दोनों के कारण बंद हुई है; बताया जाता है कि भारत जूट मिल नाम की केवल एक मिल ही मात्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हुई है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन खारदाह कम्पनी की कार्य-स्थिति की जांच पहले ही कराई जा चुकी है। इस एकक के प्रबन्ध को हाथ में लेने तथा उसे एक उपयुक्त अभिकरण को सौंपने का प्रश्न उच्च न्यायालय, कलकत्ता में लम्बित है। कानपुर पटसन उद्योग

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

की प्रबन्धकीय जिम्मेदारियां, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने की प्रस्थापना पर हम गौर कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हावड़ा मिल्स नामक एक पटसन मिल जो अभी हाल तक बंद पड़ी हुई थी, उसने हमें प्राप्त हुए समाचारों के अनुसार 14 मई 1976 से पुनः कार्य करना शुरू कर दिया है।

सरकार ने पटसन उद्योग की समस्याओं के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की है। समिति का एक विचारार्थ विषय उन अलग अलग एककों की समस्याओं को अभिज्ञात करना है जो बन्द पड़े हैं अथवा जो एकक वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा कमजोर हैं, तथा इन समस्याओं का हल निकालना है। आशा है कि समिति इस पहलू पर अपनी रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे देगी तथा अपनी सिफारिशें करेगी। समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

इस बीच सरकार ने स्थिति से अवगत होने के कारण निर्यात मांग को बढ़ाने के लिए पटसन उद्योग के सहायतार्थ अनेक उपाय किये हैं। पटसन से बने माल की सभी मदों पर से निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। गवेषणा तथा विकास के लिए उपकर लगाया गया है। सरकार ने मुख्यतः उत्पादन लागत घटाने के लिए तथा नये उत्पादों एवं उपयोगों के विकास के लिए कुछ वेषणा तथा विकास परियोजनाओं का भी सीधे वित्त-पोषण किया है।

सरकार पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक वित्त निगमद्वारा दिये गए ऋणों पर ब्याज उपदान पद्धति जारी रखे हुए हैं। हमारे निर्यात उत्पादन को अधिक लाभप्रद तथा अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ अन्य उपाय किये गये हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध एक ऐसा विषय है, जो मुख्यतः राज्य सरकार का है। अतः श्रमिक अशान्ति के कारण मिलों के बंद होने की जांच उपयुक्त समझौताकारी प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है। इतनी अधिक संख्या में पटसन मिलों के बंद होने से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी हितों की एक बैठक आयोजित करने के लिए हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं।

बंद पड़ी पटसन मिलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

मिल का नाम	मालिक	तालाबंदी की अवधि तथा उसके कारण	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1. मेघना भार्य	बजोरिया ग्रुप	8-3-1976 से श्रमिक अशांति	6,900
2. मेघना साउथ	बजोरिया ग्रुप	9-2-1976 से श्रमिक अशांति	
3. यूनियत जूट मिल्स	वर्ड ग्रुप	14-5-1976 से वित्तीय तथा श्रमिक अशांति	2,250

1	2	3	4
4. प्रेमचन्द	अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स	8-4-1976 से अग्नि से क्षति	3,400
5. भारत	जे सी साहा एण्ड ब्रदर्स	9-4-1976 से वित्तीय कठिनाई	1,600
6. कंकनाराह	जारडाइन एण्ड कं	24-4-1976 से श्रमिक अशांति	4,100
7. कमरहट्टी	कनोरिया ग्रुप	3-5-1976 से श्रमिक अशांति	5,200
8. ईस्टर्न मैन्यूफैक्चरिंग	कनोई ुप	6-5-1976 से श्रमिक अशांति	2,000
9. खारदाह	केविया ग्रुप	8-5-1975 से वित्तीय तथा श्रमिक अशांति	5,000
10. कानपुर जूट उद्योग	साहू जैन ग्रुप	6-10-1975 से वित्तीय कठिनाई	1,300

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि दस पटसन मिलों में से केवल एक या दो मिले वित्तीय संकट के कारण बन्द हुए है और शेष श्रमिक अशांति के कारण बन्द हुई हैं। उन्होने अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर यह कह कर डाल दी है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया था कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा यह प्रश्न है कि समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी हितों की एक बैठक आयोजित की जाने इन शब्दों का उन्होने क्या वास्तविक अर्थ निकाला है? उनके मन में ये कौन सी पार्टियां है? उन्होंने अपने वक्तव्य में केवल पटसन मिल मालिकों के हितों की चिंता व्यक्त की है। जहां तक अर्थ व्यवस्था और श्रमिकों के हितों का सम्बन्ध है उन्हो केवल यही कहा है कि उन्होंने इस की जांच करने के लिए राज्य सरकार को सूचना दे दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बोस मालिक समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उस समिति ने क्या सिफारिशे की है? क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा ेगी? इससे सदस्यो के समिति द्वारा की गई सिफारिशो की जानकारी हो जायेगी। क्या उसका यह अर्थ है कि मालिकों ारा उत्पादन लागत कम की जाती है? क्या इसका यह तात्पर्य है कि यह सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तित करनी है जिससे पटसन मिल मजदूरों की संख्या में कमी हो जायेगी? राष्ट्रीयकरण से एक लाख मजदूरों की छटनी की गई है। हमारा यह कटु अनुभव रहा है।

पटसन मिल मालिकों के हितों की ही रक्षा करना आपका उ ेश्य नही होना चाहिए। मैं इन बातों के सम्बन्ध में स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं।

[श्री दिनेन भट्टाचार्य]

केवल एक ही तथ्य सामने आया है कि उन्हें वास्तव में कोई जानकारी नहीं है कि क्या जूट मिल मालिकों ने अपना फालतू रुपया अपने उत्पादनों का विविधिकरण करने हेतु दूसरे उद्योगों में खर्च कर दिया है। क्या उन्होंने इन मिलों के मालिकों के दो नम्बर के खातों का कोई हिसाब लगाया है? पता चला है कि पटसन उद्योगों की विदेशी बैंकों में लगभग 2000 करोड की विदेशी मुद्रा जमा है जो दो नम्बर के खाते की है।

फिर सरकार ने इन पटसन मिल मालिकों की काफी रियायतें दी हैं, निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है। पटसन के उत्पादनों के उपर से अन्य प्रकार का शुल्क भी हटा दिया गया है। इस मामले में निर्यात करने के लिये नगद लाभ भी दिया गया है। क्या इसके बाद भी सरकार की नीति उन्हें और रियायते देने की है? क्या वह इस मामले की जांच करने के लिए संसदीय समिति गठित करेंगे? इस सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है जिससे कि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठा सके? इस समस्या का वास्तविक समाधान क्या है? क्या कच्चे पटसन के सामान के थोक व्यापार और निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अब सुअवसर नहीं है, क्योंकि इन मिल मालिकों ने देश को हानि पहुंचाकर अत्याधिक काला धन एकत्र किया है जिससे अन्य प्रयोजनों पर लगा दिया गया है? इन सभी प्रश्नो का मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: हम इन समास्याओं से पूर्णतः अवगत है। जैसा कि मैंने बताया है, वाणिज्य सचिव वहां गये हैं और सम्बन्धित अधिकारियों एवं मंत्रियों के साथ वार्ता की है। इस सप्ताह में मैं भी जा रहा हूं। वहां त्रिपक्षीय वार्ता की जायेगी जिसमें श्रमिको, पश्चिम बगाल सरकार तथा मिल मालिकों के हितों को देखा जायेगा। मैं हित पारस्परिक अन्योन्याश्रित है। यह कहना सही नहीं है कि हम केवल मिल मालिकों के हितों की ही देखरेख कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों के सामुहिक हितों को देखते हैं। मिल बन्द किए जाने पर श्रमिकों की हानि होती है। अतः हमें उनके हितो की ओर ध्यान देना पड़ता है।

बोस मालिक समिति ने कुछ मदों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। समेकित प्रयास यही देखने के लिये किया गया है कि पटसन उत्पादको के हितों की रक्षा हो। कठीन परिस्थितियों में निर्यात समस्याओं आधुनिकीकरण की समस्याओं तथा उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की समस्याओं पर विचार किया जाता है। इस संदर्भ में राजसहायता देने के प्रश्न का भी अवलोकन किया जाना है। यदि हमारी वस्तु स्पर्धात्मेक नहीं है तो यह आन्तरिक कारनों से ही नहीं है क्योंकि उत्पादन लागत और कृत्रिम रेशे के मूल सुप्रबन्ध या उत्पादन के पुंजीगत गहन स्वरुप के कारण भी है। विदेशी मण्डियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। अंतः क्या किसी विशेष निर्यात उत्पाद की राज्य सहायता देनी है या नहीं इस पर हमें ही निर्णय करना है। अतः जब भी वित्त मंत्रालय में हमारे विशेषज्ञ सन्तुष्ट हो जाते हैं तो हम उस सीमा तक उसे प्रोत्साहन देते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी विशेष मिल को सहायता देते हैं। इसमें तो सभी का हित हैं। श्रमिकों का भी।

यह उल्लेख किया गया हैं पटसन कपडा या पटसन उद्योग भारी मुना । कमा रहा है। लेकिन रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इस उद्योग की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: गठित की गई समिति की दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार को यह पता हैं कि यदि पटसन मिलों का आधुनिकीकरण हो जाये तो इसका रोजगार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि आधुनिकीकरण हो जाता है तो सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि इससे श्रमिक बेरोजगार न हों।

इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON TALKS BETWEEN INDIA AND PAKISTAN HELD AT ISLAMABAD

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जैसा कि सदन को मालूम है, जुलाई 1972 में जबसे सिमला करार पर हस्ताक्षर हुए थे, तब से लेकर अब तक भारत सरकार की नीति यह रही है कि उक्त करार के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कड़िया टूट गई थीं, उन्हें जोड़ दिया जाए और दोनों देशों के बीच संबंधो को सामान्य बना दिया जाए। इस अवधि में बहुत-सी समस्याएं सचमुच हल हुई है। दोनों देशों के बीच दूर-संचार और डाक सेवा पुनः चालू हुई और एक वीसा करार पर हस्ताक्षर किए गए ताकि पाकिस्तान और भारत, दोनो देशों के बीच आवागमन आसान हो जाए। जनवरी 1975 में जहाजरानी तथा व्यापार पर दोनो सरकारों के बीच करार भी हुए। लेकिन, सिमला करार के कुछ दूसरे मुद्दो का हल नहीं निकल सका; ये थे—वायु एवं भूमि संचार व्यवस्था और राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना। नवम्बर, 1974 और मई 1975 में अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठनो से की गई पाकिस्तान की शिकायतों से उत्पन्न सवालो पर बातचीत करने के लिए सरकारी प्रतिनिधि मंडलों के बीच दो बैठकें हुई लेकिन कोई सहमति न हो सकी।

27 मार्च को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने हमारी प्रधान मंत्री को भेजे एक पत्र में यह संकेत दिया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन से अपना मामला वापस ले लेने को तैयार है। जैसा कि सदन को पता है, भारत ने ऐसी बात के लिए पहले भी जोर दिया था जिससे कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया ठीक गति से चलती रहे और शिमला करार पर अमल हो सके। हमारी इस पक्की धारणा के अनुरूप कि शिमला करार के निदेशों के मुताबिक स्थायी शांति और सामन्जस्यपूर्ण द्विपक्षी संबंध स्थापित करने के लिए हमें काम करते रहना है, हमारी प्रधान मंत्री ने अपने 11 अप्रैल के उत्तर में यह सुझाव दिया कि दोनो देशो के विदेश सचिव मिले और हवाई-कड़ी, ऊपरी उड़ानें, रेल, सड़क संचार की फिर से शुरूआत जैसे बाकी मामलों पर विचार-विमर्श करें और भारत तथा पाकिस्तान के बीच टूटे हुए राजनयिक संबंधों को फिर से आरंभ करने पर भी बातचीत करें। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने अपने 18 अप्रैल के पत्र में इन सुझावो को मान लिया। परिणामस्वरूप, दोनों विदेश सचिवों ने 12 से 14 मई तक इस्लामाबाद में प्रतिनिधिमंडलों की बैठकें करने का प्रबंध किया।

बैठकों के बाद, एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जो दो देशो की राजधानियो में एक-साथ प्रेस को दे दी गई। दोनों सरकारें इस पर भी सहमत हो गई है कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच भेजे गए तीनों पत्रों को प्रकाशित कर दिया जाए। मैं संयुक्त वक्तव्य और पत्राचार के मूलपाठों को सदन की मेज पर रख रहा हूं।

सदस्यगण देखेंगे कि संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के बीच टूटी हुई सभी कड़ियों को जोड़ने पर सहमति हुई है। इनमें से कुछ मदों पर तकनीकी स्तर पर और आगे संपर्क करने आवश्यक होंगे जिससे कि कड़ियां जोड़ने के विस्तृत प्रबंधो का हिसाब लगाया जा सके। इसके बाद यह तय हुआ है कि संयुक्त वक्तव्य में लिखित सारी बातें 17 जुलाई और 24 जुलाई 1976 के बीच प्रायः एक-साथ प्रभावकारी हो जाएंगी।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

मुझे विश्वास है कि सदन, हमारे दोनो देशों के लोग, क्षेत्र में हमारे दोनो देशों के मित्र और सारा संसार, इन ठोस एवं निश्चित बातो का स्वागत करेगा। दोनों देशो को एक-दूसरे पर निर्भरता के तर्क को स्वीकार करना चाहि और यह भी कि पड़ोसी देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध होने आवश्यक हैं। अगर उपमहाद्वीप में शांति और आपसी भरोसा हो जाए, तो हमारे राष्ट्र पूरी योग्यता और शक्ति का और भी पूर्ण रूप से उपयोग करके उन बड़ी-बड़ी समस्याओ का समाधान कर सकेंगे जो उनके सामने हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, जहां हमारे बहुत-से समान हित है, और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सकेंगे।

संयुक्त वक्तव्य

प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के 27 मार्च के पत्र तथा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उसके 11 अप्रैल के उत्तर के अनुपालन में भारत और पाकिस्तान के शिष्टमंडल शिमला समझौते में निहित दोनो देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से 12 से 14 मई 1976 तक इस्लामाबाद में मिले। विचार विमर्श खुलकर तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए।

2. भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव महामान्य श्री जे० एस० मेहता ने किया। विदेश, पर्यटन तथा सिविल विमानन, वित्त, गृह, रेल, नौवहन एवं संचार तथा वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि उनके सहायक थे। पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता थे विदेश सचिव श्री आगा शाही। उनकी सहायता कर रहे थे विदेश, रेल, वित्त, संचार आंतरिक वाणिज्य, सूचना एवं प्रसारण, विधि मंत्रालयो तथा विमानन प्रभाग, सिविल विमानन विभाग पत्तन एवं नौवहन तथा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स कोर्पोरेशन के प्रतिनिधि।

3. सिविल विमानन संबंधी मामलों के विषय में दोनो शिष्टमंडलों ने अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन की परिषद के समक्ष विचाराधीन मामलो तथा प्रतिदावों को वापस लेने की प्रकारता पर विचार किया और इस बात पर सहमत हुए कि इसके लिए परिषद को क संयुक्त पत्र भेजा जाय। वे आगे इस बात पर भी सहमत हुए कि एक दूसरे देश के ऊपर से हवाई उड़ाने फिर चालु की जाय तथा दोनों देशों के बीच हवाई संबंध पुनः स्थापित किए जाए। यह निर्णय किया गया कि आवश्यक ब्यौरों के परीक्षण के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि-विशेषज्ञों की बैठक की जाय।

4. दोनो देशों के शिष्टमंडल इस पर सहमत हुए कि वाघा/अटारी सीमा से होकर रेल द्वारा माल और सवारी यातायात फिर शुरू किया जाय। इस संबंध में पाकिस्तानी शिष्टमंडल ने बताया कि उनकी ओर की रेल पटरी चालु दशा में है। भारतीय शिष्टमंडल ने यथाशीघ्र अपनी ओर की पटरी की आवश्यक मरम्मत कराने का वादा किया।

5. रेल द्वारा माल का धोना शु करने से दोनों देशो के व्यापार को जो लाभ होगा उसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया।

6. यह निर्णय किया गया कि दोनों देशों के विशेषज्ञ शीघ्र मिले और दोनों दशों के बीच माल और सवारी यातायत के लिए अदल बदल भाड़ा दर नियत करने मुआवजे के दावों सीमाशुल्क औपचारिकताओं, वेगन पूल बनाने आदि के संबंध में क विस्तृत समझौता तैयार करें।

7. दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि निर्दिष्ट मार्ग पर अनुसूचित सेवा पर काम करने वाले रेलवे स्टाफ के सदस्यों की एक वर्ष के लिए वैध आवर्ती यात्रा वीसा मंजूर किए जाय।

8. दोनों शिष्टमंडल इस पर सहमत हुए कि एक दूसरे देश को भेजा जाने वाला माल सड़क मार्ग से वागा/अटारी सीमा तक लाया जा सकता है । इसके लिए उन्होंने यानांतरण, मालगोदामी, अनुबंधन तथा सीमाशुल्क निकासी आदि के लिए आवश्यक प्रबंध करने का वादा किया ।

9. दोनों शिष्टमंडलों ने दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों को शीघ्र पुनः स्थापन के प्रश्न पर विचार विमर्श किए । वे इस पर सहमत हुए कि प्रत्येक देश एक दूसरे देश की राजधानी में सहायक कार्मिक वर्ग सहित एक राजदूत द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराए । उनके अपने राजनयिक मिशनों के कार्य संचालन में पहले जो समस्याएं उपस्थित हुई थी उनको देखते हुए दोनों शिष्टमंडलों ने राजनयिक संबंधो संबंधों 1961 के विनया अभिसमय के प्रति, जिसके वे दोनों पक्षधर थे, अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और पारस्परिकता के आधार पर सहमत हुए कि एक दूसरे देश के मिशन को उनके सुचारू संचालन के लिए सभी प्रकार की सूविधाएं तथा शिष्टताएं प्रदान की जायं ।

10. दोनो शिष्टमंडलों ने 23 जनवरी 1975 के भारत पाकिस्तान व्यापार समझौते तथा 15 जनवरी के जहाजरानी प्रोतोकोल के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण किया । वे इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार समझौते के अनुच्छेद 3 की शर्तों के अनुसार राज्य व्यापार संगठनों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी 15 जुलाई 1976 से समय समय पर उनके अपने देशो में लागू विधियो, नियमों, विनियमों, तथा कार्यविधियों के अधीन दोनों देशों के बीच व्यापार में भाग लेने दिया जाय ।

11. दोनों शिष्टमंडलों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि व्यापार समझौते के अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत उल्लिखित संयुक्त समिति उस समझौते के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करने के लिए शीघ्र गठित की जाय और उस संयुक्त समिति की पहली बैठक वाणिज्य सचिव के स्तर पर जितनी जल्दी हो सके की जाय और किसी भी दशा में यह 1976 के समाप्त होने से पहले ही हो ।

12. दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि जहाजरानी प्रोतोकोल का, जैसा कि उस प्रोतोकोल के अनुच्छेद 22 में निहित है, पुनरीक्षण करने के लिए दोनो देशो के जहाजरानी विशेषज्ञो की एक और बैठक बुलाई जाए ।

13. दोनों शिष्टमंडलो ने दोनों देशों के बीच यात्राओं को नियमित करने के लिए बर्तमान वीजा समझौते का पुनरीक्षण किया । उन्होंने देखा कि उस समझौते में जो व्यवस्थाएं की गई थीं वे ठीक चल रही है और उनमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं ।

14. दोनों शिष्टमंडलो ने शिमला समझौते में उल्लिखित सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आदान प्रदानो को बढ़ावा देने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया । वे इस बात पर सहमत हुए कि इन उपायों पर यथासमय और भी विचार विमर्श किये जा सकते है ।

15. दोनों पक्षों ने नजरबंदो के प्रश्न पर विचार विमर्श किया और इस बात पर सहमत हुए कि इस मानवीय प्रश्न का समाधान अत्यंत शीघ्रता से किया जाना चाहिए। वे इस पर भी सहमत हु कि जिन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है उनका पता लगाकर वर्तमान प्रबंधो के अनुसार उन्हें यथा सभव तत्परता पूर्वक प्रत्यावर्तित किया जाय ।

16. भारतीय शिष्टमंडल के नेता महामान्य श्री जे० स० मेहता का पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के अध्यक्ष ने स्वागत किया ।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

17. भारतीय शिष्टमंडल ने पाकिस्तानी शिष्टमंडल को अपने आतिथ्य के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया ।

(जगत सिंह मेहता)	(आगा शाही)
विदेश सचिव	विदेश मंत्री
विदेश मंत्रालय	विदेश मंत्रालय
भारत सरकार	पाकिस्तान सरकार

इस्लामाबाद 14 मई 1976

हमारी प्रधान मंत्री को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री, श्री जेड० ए० भुट्टो द्वारा लिखे गए दिनांक 27 मार्च 1976 के पत्र की प्रतिलिपी

प्रधान मंत्री महोदया,

मैं यह आवश्यक समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के प्रश्न पर आपको पत्र लिखने में मैं पहल करूं । अनेक कारणों से इस प्रक्रिया में ठहराव आ गया लगता है । इस गतिरोध को समाप्त करने से पारस्परिक लाभ स्वतः स्पष्ट हैं । अनेक कावटों के बावजूद, पाकिस्तान की जनता दोनों देशों के बीच स्थायी शांति के लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध है ।

2. यह खेद की बात है कि यह प्रक्रिया कम से कम आंशिक रूप से नागरिक वायु संचार और ऊपरी उड़ानों को चालू करने से संबंधित किसी समझौते पर नहीं पहुंचने के कारण अवरुद्ध हुई है । हमें यह सोचना चाहिए था कि अन्य संचार-व्यवस्था को पुनः चालू करने के समझौतों से उत्पन्न सामान्यीकरण की गति इस मसले पर किसी समझौते पर पहुंचने को आसान बना देती । यहां वह सब गिनाना व्यर्थ है कि विभिन्न चरणों में वार्ताएं हुई और परिणाम कुछ नहीं निकले ।

3. अपनी तरफ से हमने इस समस्या की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की है कि किस प्रकार हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं और इस संदर्भ में हमने भारत के साथ वाघा तक रैल मार्ग चालू कर दिया है और दोनों देशों के बीच समुद्र-तटीय सीमाका सीमांकन करने को भी हम राजी हो गए हैं। एतद्द्वारा हमने सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अखंडित बनाये रखने की कोशिश की है । फिर भी, जब तक अन्य बकाया मसलों के बारे में प्रगति नहीं होती, ये प्रयत्न केवल आंशिक महत्व के होंगे और इनसे सतहीं परिणाम ही प्राप्त होंगे ।

4. अतः, भारत के साथ संबंध सुधारने की अपनी हार्दिक इच्छा के अनुरूप सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लि हम आई०सी०ए०ओ० से पाकिस्तान के मुकदमे भी हटा लेने को तैयार है । इस गतिरोध को और कैसे समाप्त किया जा सकता है ?

5. मुझे विश्वास है कि अब ऊपरी उड़ानों की समस्या का हल हो जाना चाहिये ताकि हम शिमला समझौते में परिकल्पित शेष मसलों पर ध्यान दे सकें ।

सादर ।

आपका

(ह०) जुल्फिकार अली भुट्टो

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, श्री जेड० ए० भुट्टो के नाम हमारी प्रधानमंत्री के 11 अप्रैल, 1976 के पत्र की प्रतिलिपि

प्रिय प्रधान मंत्री,

आपके 27 मार्च के पत्र के लिए धन्यवाद । आपने पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में वर्तमान गतिरोध की चर्चा की है । यह गतिरोध भारत ने नहीं किया है । हम अपने इस पक्के विश्वास पर कार्य कर रहे हैं कि शिमला-करार हमें निदेश देता है कि हमारे दोनों देशों की संबंधों की दिशा में और स्थायी शांति की स्थापना में हम सच्चे दिल से प्रयत्न करते हैं। संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू करने के लिए आपने अपने पत्र में जो सम्भावना बताई है, उसका मैं स्वागत करती हूं, जिससे कि समझौते का रास्ता खुलेगा और हमारे उप-महाद्वीप में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा ।

2. मुझे यह जानकर खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के सामने जो मामला पड़ा है, उसे आप अब वापस लेने की पेशकश करना संभव मानते हैं । इसमें कोई शक नहीं कि सिविल विमानन की समस्या, संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया के आड़े आई है और उसे वापस लेने की आपकी इच्छा सहायक सिद्ध होगी ।

3. मैं आपने विदेश सचिव को यह आदेश देने को तैयार हूं कि वह पाकिस्तान में अपने समकक्ष विदेश सचिव से सम्पर्क स्थापित करें और बाकी बचे मामलों पर सम्मिलित रूप से इन विषयों पर बातचीत करने के लिए परस्पर सुविधाजनक तारीख की बैठक आयोजित करने का प्रबंध करे, जैसे कि हमारे देशों के बीच हवाई कड़ी की स्थापना, एक-दूसरे देश के ऊपर से हवाई उड़ाने भरना और रेल तथा सड़क संचार को पुनः आरम्भ करना । हम इससे भी आगे जाने को तैयार हैं कि आपके तिनिधियों के साथ राजनयिक संबंध की पुनः स्थापना के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया जाए ।

4. आपसे उत्तर मिलने पर, इस प्रकार की बैठकें करने का कार्यक्रम, खासतौर से शिमला-करार की व्यवस्थाओं से उठने वाली बातों के बारे में, शुरू किया जा सकता है । लेकिन इस बीच मेरे ख्याल में यह जरूरी है कि एक-दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने वाले प्रकार मजबूती से रोक कर और एक-दूसरे देश के हितों के खिलाफ उठाने वाले लाभों को रोक कर हमारे संबंधों की हवा को सुधारने के लिए नये सिरे से उद्देश्यपूर्ण प्रयास किए जाएं । आपकी तरफ से भारत के बारे में जो बयान दिए गए हैं और टिप्पणियां की गई है, उनसे हमें चिन्ता हुई है और हमारे लोगों को यह लगा है कि भारत की नीतियों और अपने पड़ौसियों के प्रति उसकी इच्छाओं के बारे में पाकिस्तान शक पैदा करना चाहता है । यह खेदजनक है और शिमला करार की पूर्ति के अनुकूल नहीं है जिसकी ओर आपने अपने पत्र में संकेत किया है । हमें विश्वास है कि इस उप-महाद्वीप का कोई भी देश तनावों से लाभ नहीं उठा सकता । हमारे लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से बढ़कर हमें एक-दूसरे पर निर्भरता के तर्क को मान लेना चाहिए और इसको भी कि सहयोगकारी संबंध की आवश्यकता है ।

सादर ।

भवदीया;

(ह०)—इन्दिरा गांधी

हमारी प्रधानमंत्री के नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, श्री जेड० ए० भुट्टो के 18 अप्रैल, 1976 के पत्र की प्रतिलिपि

प्रिय श्रीमती प्रधान मंत्री,

आपके 11 अप्रैल के पत्र के लिए धन्यवाद ।

एक-दूसरे देश पर उड़ानें भरने और हवाई कड़ी की स्थापना करने की सवालों पर हुए गतिरोध को दूर करके दोनो देशो के सं धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को फिर शुरू करने की दिशा में गम्भीर प्रयास करने की दृष्टि से मैंने आपको पत्र लिखना आवश्यक समझा ।

आपके उत्तर में यह सझाव दिया गया है कि हमें अब उस उ देश्य की पूर्ति के लिए एक और कदम उठाना चाहिए । हवाई उड़ानें भरने और हवाई कड़ी स्थापित करन के विषय में तथा राजनयिक संबंध फिर शुरू करने और आपके पत्र में उल्लिखित अन्य मामलों पर भी विचार करने के लिए एक करार सम्पन्न करने के लिए हम आपके प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद आने का स्वागत करेंने । मेरे विदेश सचिव को आदेश दे दिए गए हैं कि वह परस्पर सूविधाजनक तारीख तय करने के लिए अपने समकक्ष विदेश सचिव से संपर्क स्थापित करें ।

मैं सहमत हूं कि दोनो देशों को क-दूसरे के खिलाफ विरोधी प्रचार बंद कर देना चाहिए । हम इस विचार को क्यो न स ीकार कर कि हमारे संबंधो में तनाव के कारणों को दूर कर देना चाहिए ।

लेकिन, मुझे यह जानकर खेद हुआ कि आपके खयाल में पाकिस्तान ही कसूरवार है । हमारी तरफ से हम ऐसे कई बयानो की तरफ से बेखबर नहीं है जो हाल ही म भारत की ओर से दिए गए है और जिनसे शिमला करार के लक्ष्यों की पूर्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करने में शायद सहायता नहीं मिल सकती ।

इसके बावजूद, मेरा विश्वास है कि अगर दोनो तरफ सद्भावना से काम लिया जाये तो उस करार की व्यवस्था के अनुरूप अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आने वाली अड़चनो को हम दर कर सकते हैं ।

सादर ।

भवदीय,

(ह०)–जुल्फिकार अली भुट्टो

डा० रानेन सेन (बरिसाट) : मौलाना भाशानी की फरक्का यात्रा के बारे में भी वक्तव्य दिया जाना है ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा 5 अगस्त 1974 को पटना में श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य को हथकड़ी लगाये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 5 अगस्त, 1974 को पटना में श्री ईश्वर चौधरी, संसद् सदस्य को हथकड़ी लगाये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक
NATIONAL LIBRARY BILL

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

सभा को याद होगा कि कि 1972 में राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक इस सभा में पेश किया गया था, उस समय मैने इसके मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया था । तब इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था । समिति ने इस सम्बन्ध अनेक बैठकें की । समिति ने इसमें रूचि रखने वाले अनेक व्यक्तियों तथा संगठनो के विचार सुने, कई साक्ष्य लिए और फिर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए । समिति ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि पुस्तकालय के प्रशासन के लिए एक बहुत ही व्यापक बोर्ड की व्यवस्था हो इस बोर्ड में दोनों सदनों के सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों पुस्तकालय व्यवसाय, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वांनों तथा सरकारी अधिकारियों को सदस्य बनाया जायेगा । बोर्ड में इन सदस्यों से पुस्तकालय के बौद्धिक वातावरण में सुधार करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी इससे यह अनुसंधान का सक्रिय केन्द्र बन जायेगा । चूंकी यह महसूस किया गया है कि इसके वास्तविक प्रशासन के लिये एक कार्यकारी परिषद होनी चाहिए । अत: संयुक्त समिति ने प्रस्ताव किया है कि एक कार्यकारी परिषद भी होनी चाहिए जो बोर्ड द्वारा बनाए गए कार्यों या नियमों के अन्तर्गत कार्य करेगी । पुस्तकालय के निदेशक, जो कार्यकारी परिषद का चेयरमैन होगा, कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी । राष्ट्रपति पुस्तकालय के विजिटर होंगे । इससे पुस्तकालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी । सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय अपना कार्य सही तरह से पालन करेगा । इसके खातों की लेखा परीक्षा भारत के महालेखापरीक्षक करेंगे ।

[प्रो० एस० नुरूल हसन]

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदीत रूप में इस विधेयक के द्वारा पुस्तकालय के वर्तमान कर्मचारियों को यथासम्भव अधिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है और हमने उनके हितों की पूर्ण सुरक्षा करने का प्रयास किया है ।

संविधान के अंतर्गत पुस्तकालय राज्यों की सूची में आते है और संसद को इन की प्रबन्ध और प्रशासन करने की विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः अनेक सदस्यों ने एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध किया है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में कानून बनाने सम्बन्धी संसद को पूरे अधिकार हैं । इससे सम्बन्धित सभी प्रकार की शंकाये निराधार हैं । किसी विशेष संस्था के रख-रखाव के बारे सरकार संसद के सामने हमेशा उत्तरदायी है । मैं इस विधेयक को, संशोधित रूप में पारित करने का सभा से अनुरोध करता हूँ ।

Shri M. C. Daga (Pali) : Libraries are very necessary for the intellectual development of the people. Unfortunately in our country there are no libraries. It will be very good for the country if libraries are opened in all big towns and cities.

There is a provision in this Bill for the setting up of a Board which will consist of some officials and professors. But these people do not have any time to devote to this work. What is needed is that only retired persons are taken in the Board so that they have enough time to attend to its work. It is also necessary that only those persons are taken in the Board who have a literary taste.

The Bill also provides that the Board will meet at such times and place and will observe such rules of procedure as might be prescribed by regulations made under this Act. This will mean that all powers will be exercised by the executive authorities.

It is also laid down in the Bill that the Board might associate with itself any person whose assistance or advice it might desire in performing any of its functions. This kind of blanket power will mean that even the film actors could be associated with the Board. This kind of latitude should not be given to the executive officers. The Minister should have a new approach, only those persons should be taken who have a missionary spirit.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक इस तथ्य को सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसी एक राष्ट्रीय संस्था को किस प्रकार से नौकरशाहि ढंग से चलाने का प्रयास किया जाता है ।

इस विधेयक को दिसम्बर, 1972 में सभा में पेश किया गया था। यह विधेयक हमारी प्रार्थना पर संयुक्त समिति को उस समय सौंपा गया था । परन्तु हम देखते हैं कि जहां तक प्रारम्भिक प्रस्तावों का सम्बन्ध है, कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है । पहले की कुछ कमियों को दूर करने की मांग की गई है । फिर भी हम विधेयक में निर्धारित किये गये उस ढंग का विरोध करते हैं कि भविष्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय के कार्यों की किस प्रकार देखभाल की जाये या उनका प्रबन्ध किया जाये ।

पुस्तकाध्यक्ष और तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष और सह-पुस्तकाध्यक्ष के बीच निजी झगड़ों के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण के बारे में गम्भीर शिकायतें मिली हैं । सरकार ने राष्ट्रीय ग्रंथालय के कार्यकरण की जांच करने के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डा० झा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। समिक्षा समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनसे राष्ट्रीय ग्रंथालय के कार्य में सुधार होगा ।

समिति ने सिफारिश की कि पुस्तकालय केन्द्रीय सरकार के अधीन होना चाहिये, इसकी ऐतिहासिक पृष्टभूमि में दखल नहीं दिया जाना चाहिये और यह केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग बना रहना चाहिये और सलाहकार परिषद के स्थान पर एक प्रबन्धक परिषद होनी चाहिये जिसके पास पुस्तकालय के प्रबन्ध और रोजाना के कार्यों सम्बन्धी विषयों को निपटाने तथा इसकी नीतियों को लागू करने के लिये अर्ध-स्वायत्तशासी शक्तियां हों। दूसरी मुख्य सिफारिश यह है कि पुस्तकालय का एक निदेशक होना चाहिये जिसका दर्जा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के बराबर हो। इनमें से कोई भी सिफ रिश स्वीकार नहीं कि गयी, बस केवल एक बात मानी गई है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक निदेशक होगा। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं कर सकीं।

इस समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के भावी प्रबन्ध और कार्यकरण के बारे में कतिपय विशिष्ट सिफारिशें की हैं। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रबन्ध और नियंत्रण की सीधी जिम्मेदारी से क्यों बचना चाहिती है? आशंका यह है कि वह इस संस्था के प्रबन्ध की जिम्मेदारी को स्वीकार नही करना चाहती। हम केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण को नही चाहते किंतु इसके स्थान पर जो व्यवस्था लाई जा रही है उसके बारे में हमें बड़ी आशंकाएं हैं।

समीक्षा समिति की सिफारिश यह है कि एक प्रबन्ध परिषद् होनी चाहिये और इसमें विख्यात प्रोफेसर, अत्याधिक जिम्मेदार और विशिष्ट शिक्षाविद, कुशल और शिक्षा में विशेष रुचि रखने वाले प्रशासक तथा वैज्ञानिक आदि होने चाहिये। फिर भी विधेयक में एक ऐसे बोर्ड का प्रस्ताव किया गया है जिसमे विभिन्न अभिरुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाल 29 सदस्य होंगे। कुछ मामलों में राज्य चयन करेंगे और कुछ में केन्द्रीय सरकार चयन करेगी तथा कुछ अन्य मामलों में अन्य प्राधिकारी तथा एजेन्सियां चयन करेगी। इन लोगों के लिये एक साथ मिलकर बैठना और एक समेकित नीति बनाना कितना कठिन होगा।

साथ ही एक कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव भी किया गया है जिसमें 9 व्यक्ति होंगे और इस कार्यकारी परिषद् को कोई कार्य नहीं सौंपा गया है। वह तो केवल इस बोर्ड की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता करेंगे और इस अधीनियम के अर्न्तगत अपने कर्तव्यों को पुरा करने में सहायता देंगे। यह प्रशासन की दोहरी प्रणाली क्यों शुरू की जा रही है? इस प्रकार के निकाय में प्रशासन की यह दोहरी प्रणाली सहायक सिद्ध नहीं होगी। मंत्री महोदय को इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये।

कर्मचारियों के बारे में वर्तमान कर्मचारियों को बोर्ड में स्थानान्तरित करने के लिये जिसके लिये विकल्प मालूम किया गया है, विधेयक में व्यवस्था की गई है। यह जो विकल्प दिया गया है उसका प्रयोग करना होगा। हम जानना चाहते हैं कि जो लोग विकल्प नहीं देंगे उनका क्या होगा। इन कर्मचारियों को बोर्ड के अर्न्तगत किन विशीष्ट कारणों से लाया जा रहा है? उन्हें सरकारी कर्मचारियों से बोर्ड के कर्मचारी बनाने के क्या विशेष कारण है। मंत्री महोदय को इन सभी बातों को स्पष्ट करना चाहिये क्योंकि इन बातों ने कर्मचारियों में काफी आशंका पैदा कर दी हैं जो कि उचित ही है।

उत्तरपाड़ा के बारे मोहन पुस्तकालय में महत्वपूर्ण और दुर्लभ पांडुलिपियां तथा दस्तावेज़ हैं। उचित रखरखाव और समुचित वित्तीय सहायता के बिना इन राष्ट्रीय अस्तियों के नष्ट होने का खतरा है। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करे कि इन राष्ट्रीय अस्तियों की उचित रक्षा की जाये और उन्हें बनाया रखा जाये। उन्हें राष्ट्रीय पुस्तकालय में ले जाना चाहिये जहां उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

मेरे विचार में देश के अन्दर पुस्तकालय आन्दोलन को आर्थिक अन्दोलन जसे अन्य आन्दोलनों की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है । सातवे परिशिंष्ट की सूची संख्या I तथा सूची संख्या II हमारे पुस्तकालय आन्दोलन में बाध्य हैं । क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का कोई आश्वासन देंगे कि पुस्तकालयों का गठन प्रतिनिधिक होगा और जिसके प्रतिनिधि साहित्यिक व्यक्ति ही होंगे ।

गत 20, 25 वर्षों के दौरान पुस्तकालय जाने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है । इस कमी के अनेक कारण हैं । सिनेमा और टेलीवीजन आदि के कारण भी पुस्तकालयों में जाने वालों की संख्या में कमी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि पुस्तकालय में भी सिनेमा हो ।

श्री बी० वी० नायक : सम्भवत: इसके लिये अभी कुछ समय लगेगा ।

डा० रंगानाथन एक बहुत बड़े लायब्रेरियन हैं । उन्होंने डेसीमल प्रणाली चालू की जिसे सारे विश्व ने अपनाया है । यूनेस्को ने भी उनकी योग्यता को मान्यता दी है । उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को भारी देन दी है । ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय पुस्तकालय में शामिल किया जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय कुछ छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध करें ताकि दूरस्थ स्थानों के छात्र तथा पाठकगण इस पुस्पकालय का लाभ उठा सके । इससे बंगाल की कला, साहित्य, संस्कृति और परम्परा का अध्ययन करने के अलावा उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना भी पैदा होगी ।

देश में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया जाना जाहिये । मत्री महोदय यथाशीघ्र एक ऐसी योजना बनाये जिससे देश में पुस्तकालय आन्दोलन को शीघ्रता से चलाया जा सके । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यह विधेयक काफी समय से लटक रहा है । विधेयक का मूल नाम राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 था और झा समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण की समीक्षा की और कुछ निर्णय लिये और जहां तक इस विधेयक को तैयार करने का सम्बन्ध है, सरकार ने उनके मूल तत्व को ले लिया है ।

कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक ऐसा खजाना माना गया है जिसे प्रमुख पुस्तकालय के रुप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तरपर उसके लिए काम किया जाना चाहिये । ऐतिहासिक बातों के कारण इसमें सबसे अधिक किताबें, पांडुलिपियां, पत्रिकाएं, आदि हैं । अत: राष्ट्रीय पुस्तकालय का नवीकरण करने के लिए अवश्य कुछ किया जाना जाहिये ।

गत कई वर्षों से राष्ट्रीय पुस्तकालय में कोई योग्य लायब्रेरियन नहीं है । राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक ऐसा निदेशक नियुक्त करने का विचार है जिसका दर्जा ऊंचा हो, जो बुद्धिजीवी हों, और जिसे देश के विभिन्न भागों में बुद्धिजीवी लोगों का सम्मान प्राप्त हो । परन्तु काफी समय से पुस्तकालय क्लर्कों द्वारा चलाया जा रहा है । इस प्रकार के पुस्तकालयों का चार्ज अधिक योग्य व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिये ।

इस विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने बताया है कि इस संस्था का स्वायत्त स्वरुप होना महत्वपूर्ण बात होगी । इस पुस्तकालय को इस ढंग से चलाया जाना चाहिये जो इस देश के बुद्धिजीवी लोगों के वातावरण के अनुकूल हो । अत: इसके लिए एक स्वायत्त बोर्ड

होना चाहिये जिसका विशिष्ट स्वरुप हो और जिसमें बुद्धिजीवी लोग हों और इसके पास वे शक्तियां हों जो सरकार द्वारा इसे प्रत्यायोजित की गई हों।

इस बारे में विवाद है कि क्या इसे स्वायत्तता दी जानी चाहिये या संवैधानिक स्वायत्तता दी जानी चाहिये। सरकार का यह विचार है कि प्रत्यायोजित स्वायत्तता एक ऐसा मामला है जिसकी परिभाषा संक्षिप्त विधान के अन्तर्गत नहीं की जा सकती। अतः इसे संवैधानिक स्वायत्तता दी जायेगी। यह अच्छी बात है कि विधान द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो स्वायत्तता दी जानी जाहिये वह दी गई है। बोर्ड के गठन के बारे में कुछ सुधार किये जा सकते हैं। संयुक्त समिति ने मामले पर विस्तार से विचार किया है। संयुक्त समिति ने यह निर्णय किया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को अब भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय माना जाये। यह बात विधेयक का एक अंग है। यह अच्छी बात है। परन्तु आशंका यह है कि शायद राष्ट्रीय पुस्तकालय को कलकत्ता से किसी और स्थान पर ले जाने का विचार है। यह सन्तोष की बात है कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में रहेगा और उसे वहां से हटाया नहीं जायेगा। अब यह बात महत्वपूर्ण है कि हमने राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण में सुधार करने के उपाय सोचे हैं। वर्तमान सुविधाएं अच्छी नहीं है और वहां पर प्रारम्भिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। फिल्मी उपकरण अपर्याप्त हैं। वातानुकूल यंत्र और वाइंडरी की स्थिति भी दयाजनक है।

झा समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के निदेशक के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की सिफारिश की है जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग का हो। पता चला है कि सरकार अभी तक ऐसा निदेशक नहीं ढूंढ पाई है। किन्तू हमारे देश में प्रतिमा का इतना अभाव नहीं है कि हम इस पुस्तकालय को चलाने के लिए तथा इसका निदेशक बनने के लिए एक अच्छा व्यक्ति न खोज सकें।

राष्ट्रीय पुस्तकालय में अव्यवस्था रही है और अब भी चल रही है। पुस्तकालय से किताबों के गुम होने के आरोप हैं जो बहुत चिन्ताजनक हैं। पता चला है कि पुस्तकालय के प्रबन्ध में कुछ लोग कतिपय तत्वों के साथ मिले हुए हैं जो पुस्तकालय को बदनाम करने का प्रयास कर रहें हैं।

कलकत्ता से केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय को कहीं और ले जाने के बारे में रिपोर्ट मिली है। परन्तु मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने यह बताया है कि केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय वहां रहेगा। केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय और सन्दर्भिका बनाने का काम, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, का एक प्रमुख काम है, वहीं पर रहेगा और सभी सुविधाएं दी जाती रहेंगी।

पता चला है कि कर्मचारियों और कर्मचारियों की यूनियनों में फूट है और वहां पर विभिन्न यूनियन हैं। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि कोई भेदभाव न किया जाये और कर्मचारियों की जायज़ यूनियनों को मान्यता दी जाये।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में बाल पुस्तकालय सेक्शन है। अन्य स्थानों पर कतिपय बाल पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बाल भवन आन्दोलन और बाल पुस्तकालय आन्दोलन को आपस में जोड़ा जा सकता है।

जहां तक राष्ट्रीय पुस्तकालय के काम का सम्बन्ध है, इसका तब तक पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये जब तक स्वायत्त बोर्ड स्थापित नहीं किया जाता और किसी भी मुख्य पुस्तकालय के लिए कम से कम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जायें।

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

जहां तक वातानुकूलन, माइक्रो-फिल्मिंग, पुस्तकों के रखरखाव और अन्य बातों का सम्बन्ध है, हर प्रकार की सुविधा की गारंटी दी जानी चाहिये और पुस्तकालय के कार्यकरण पर ध्यान रखा जाना चाहिये।

राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्वरूप क्या हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। राष्ट्रीय पुस्तकालय पठन में राहत या अवर-स्नातक अध्ययन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए होनी चाहिये। वहां पर लोगों की भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिये। वास्तविक पाठकों, अनुसंधान कर्ताओं और सन्दर्भिका तैयार करने वाले और विदेशियों के लिए अलग-अलग सेक्शन होने चाहिये। अतः कुछ उपाय करने चाहिये ताकि पठन सेक्शन को अलग किया जा सके जिसमें अधिक लोकप्रिय पुस्तकें रखी जा सकें और राष्ट्रीय पुस्तकों का संग्रह विद्वानों के लिए अलग से हो। अतः इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिये। हम देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय क्षेत्रीय भाषाओं के पुस्तकालय स्थापित कर सकते हैं। उस प्रकार के क्षेत्रीय पुस्तकालय जिनका अपना अलग स्वरूप होगा, स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा पहल की जानी चाहिये।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के निदेशक को देश के विभिन्न भोगों में पुस्तकालयों के विकास के कार्य का उत्तरदायित्व अच्छी तरह सम्भालना चाहिये। समूचे मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और मंत्री महोदय को इसपर ध्यान देना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कर्मचारियों की चिन्ताओं को दूर करें। कर्मचारियों को यह आशंका है कि बोर्ड के बन जाने के बाद उनकी सेवा की शर्तें भी बदल जायेंगी और उन्हें पुराना दर्जा नहीं मिलेगा। परन्तु मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते जो लाभ उन्हें मिल रहें हैं परिवर्तन होने पर वे सभी लाभ उन्हें मिलते रहेंगे। जहां तक पुस्तकालय के कार्य का सम्बन्ध है, कर्मचारियों तथा उनकी यूनियनों से सलाह ली जाये तथा उन्हें उस काम में शामिल किया जाये। कर्मचारियों की जायज शिकायतों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाये तथा उन्हें दूर किया जाना चाहिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय को अब भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जायेगा और इस कलकत्ता से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : इस विधेयक के पक्ष में तथा विरोध में सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है। आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा 14.00 बजे तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.03 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक--जारी
NATIONAL LIBRARY BILL—*Contd.*

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्यक्रम और प्रगति पर विचार तथा उसका विश्लेषण इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं किया जाना चाहिये अपितु इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के बाहर भी किया जाना चाहिये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है।

19वीं शताब्दी के बाद पुस्तकालय में जाने वाले लोग केवल इतिहास, साहित्य और समाजशास्त्र का ही अध्ययन करते थे। परन्तु अब आधुनिक विज्ञान के विकास होने पर लोगो में आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलोजी, वास्तु विज्ञान, चिकित्सा, विज्ञान आदि का अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अतः राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य या कार्य केवल इतिहास एवं साहित्य के मूल दस्तावेजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। मेरे विचार में राष्ट्रीय पुस्तकालय को देश के सभी विद्वानों तथा शोधकर्ताओं के उद्देश्यों की सिद्धि करनी चाहिये जो देश की प्रगति और विकास के अनुरूप हो। सामान्य आदत यह बन गई है कि हम पुस्तकालय में जाकर पुस्तके ढूंढ कर पढ़ लेते हैं। कोई पुस्तक मिल जाये तो ठीक है यदि नहीं मिले तो भी वे पुस्तकालय के अधिकारियों से उस पुस्तक के बारे में नहीं पूछते। इससे यह पता नहीं चलता कि पाठकों की रूचि किन पुस्तकों में है। अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक नीति योजना विभाग का गठन किया जाये ताकि आधुनिक छात्रों एवं विद्वानों की रुचि का पता चल सके।

राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान सम्बन्धी कार्य भी किया जाना आवश्यक है।

अतः आधुनिक विद्वानों और शोध छात्रों की आवश्यकताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक नीति निर्धारण विभाग बनाया जाना जाहिए। फिर पुस्तकालय विज्ञान पर एक अत्यन्त सुदृढ़ शोध स्कन्ध होना चाहिए। पुस्तकालय में ऐतिहासिक दस्तावेजों के रखरखाव के लिए पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण वहां ऐसे अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजो उपलब्ध नहीं है। नवजागरण आन्दोलन से सम्बन्धित मौलिक दस्तावेज़ वहां ठीक से नहीं रखे जाते हैं और विद्वान उनका सम्यक उपयोग नहीं कर पाते हैं क्यों कि समुचित सुविधाओं के न होने के कारण उन्हें वहां उचित ढंग से नहीं रखा गया है। ऐसे दस्तावेजों के सन्धारण और परिरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक राष्ट्रीय विज्ञान विभाग होना चाहिए।

यह ठीक ही कहा गया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को भीड़भाड़ का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। इसके कुछ नियम अथवा विनियम कुछ मानक होने चाहिए जिससे यह निर्धारित किया जाये कि पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करने का किस को अधिकार है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय इस देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय आन्दोलन आरम्भ कर सकता है। यदि राष्ट्रीय पुस्तकालय पहल करके सभी उपलब्ध पाण्डुलिपियां, पत्र तथा स्वतंत्रता आन्दोलन की अन्य जानकारी एकत्र करता तो इस पुस्तकालय का उद्देश्य ही सफल हो जाता।

राष्ट्रीय पुस्तकालय में पर्याप्त और अच्छा वातानुकूलित स्थान या अतिथिगृह नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रांगण में, जो खाली पड़ा है, एक छोटा सा अतिथिगृह बनाया जा सकता है जिसमें विदेशी ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश के लोग भी आ सकते हैं।

[श्री प्रियरंजन दास मुन्शी]

अन्य पुस्तकालयों के बारे में हमने अपने देश में यह प्रवृत्ति पैदा की है कि बहुत बड़े पुस्तकालयों के बारे में ही विचार किया जायेगा। यदि राष्ट्रीय पुस्तकालय समाज कल्याण विभाग या शिक्षा मंत्रालय के अधीन मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त छोटे पुस्तकालयों के साथ मिल कर कार्य करे तो वह ऐसी जानकारी एकत्र कर सकते हैं जो कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगी।

एक पुस्तकालय बोर्ड बनाना अत्यावश्यक है। अतः राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक गैर-सरकारी सलाहकार परिषद बनाई जा सकती है जिसमें शिक्षा विदों और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री या राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व हो सकता है।

यदि कलकत्ता स्थित सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र जैसे संस्थानों या ऐसे अन्य संस्थानों को सहायक एककों के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय के अधिकार के अन्तर्गत लाया जाये तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्षेत्र का विस्तार होगा और इसके उद्देश्य की सिद्धि भी होगी। फिर भी मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्षेत्राधिकार के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इसका मुख्यालय कलकत्ता से कहीं और स्थान पर स्थानान्तरित नहीं होगा।

श्री बाई० एस० महाजन (बुलडाना) : यह विधेयक हमारे राष्ट्रीय जीवन के शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय से सम्बन्धित है।

इस पुस्तकालय ने भारत तथा विदेश के विद्वानों को अनुसंधान की इतनी अधिक सुविधाएं दी है जितनी किसी अन्य पुस्तकालय ने नहीं दी। पर क्योंकि इस महान संस्था के कार्यकलापों में कुछ खराबियां आ गई थी, सरकार ने इसकी जांच करने और कार्य में सुधार लाने के लिए सिफारीश करने के लिए एक समिति नियुक्त की जो झा समिति के नाम से मानी जाती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग के रूप में ही काम करता रहे। परन्तु सरकार को यह स्वीकार नहीं क्यों कि इसके वर्तमान गठन को बनाए रखने से इसके कार्य में सुधार नहीं हो सकेगा।

समिति ने प्रतिवेदन में आगे कहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की परामर्शदात्री समिति को प्रबन्ध मण्डल में बदल दिया जाए तथा उसे स्वायत्तता प्रदान की जाए। सरकार ने स्वायत्तता के सिद्धान्त को मान लिया है और इस विधेयक के द्वारा उसे प्रभावी बनाया जा रहा है।

पुस्तकालय का नया नाम भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है। धारा 18 के अनुसार यह कलकत्ता में ही रहेगा। इस उपबन्ध से पश्चिम बंगाल के अनेक लोगों के मन से पुस्तकालय के स्थान के सम्बन्ध में सन्देहों को दूर कर दिया है।

विधेयक में पुस्तकालय बोर्ड के प्रतिनिधित्व के बदलते रहने का उपबन्ध भी स्वागत योग्य है।

पुस्तकालय को स्वायत्तता प्रदान किए जाने से यह भय पैदा हो गया है कि कर्मचारियों की सेवाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भय यह निराधार है तथा धारा 17 में उन्हें पारित सुरक्षा प्रदान की गई है। विधेयक में कर्मचारियों के अधिकारों को बहुत विस्तार से बताया गया है तथा वे कर्मचारियों के हितों के लिए पर्याप्त गारन्टी है।

इस विधेयक का इसलिए भी स्वागत है कि यह देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास का प्रारम्भ है। पुस्तकालयों का विकास राज्यों का विषय है, परन्तु मंत्री महोदय देश में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विकास में बड़ा योगदान दे सकते हैं। किसी भी राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल नहीं की है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इस सम्बन्ध में कर्तव्य निभाने को प्रोत्साहित किया जाए। उनसे अपना अंशदान देने को कहा जाए तथा योजना में समाज की इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए पर्याप्त धन रखा जाए।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The Minister and his young colleagues deserve congratulation for introducing a comprehensive legislation for improving the working of the National Library, Calcutta. When the Committee's report was to be implemented *in toto* then why this Joint Select Committee was constituted. Ultimately the Parliament's view should be supreme. This Bill grants autonomy to the National Library, but it is not known why Government do not manage it themselves. However, the financial constraints should not be allowed to hamper the development of this institution. The Minister should generously provide funds for this institution.

Scholars from different parts of the country desire to go to National Library, Calcutta for consulting valuable manuscripts and documents, and with a view to encourage them free railway passes should be issued to research scholars from universities or other institutions so that they may be benefitted.

Government should also pay special attention towards the method of preserving valuable books, manuscripts and documents in the National Library, Calcutta.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : The Minister has brought forward a very important Bill. This Library should be given a national status. Efforts should be made to maintain a high standard of this Library. The Library should aim at extending facilities and giving necessary guidance to our research scholars and intellectuals to enable them to do original work in their respective fields.

It is regrettable that many ancient and valuable manuscripts are on the verge of extinction. Systematic efforts should be made under this Library to discover, preserve and if possible to publish the texts of these valuable manuscripts for the benefit of our learned friends.

Government should ensure that the provisions of this Bill are properly and effectively implemented. Only then the desired objective will be achieved.

In order to ensure that maximum number of our people derive benefit from this Institute, Government should expand this Library in such a way that its branches be established at district and village level also.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में बहुमूल्य समाज दिये हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी पक्षपात की भावना से नहीं वरन् राष्ट्रीय सेवा एवं विद्वानों के हित की दृष्टि से विधेयक पर चर्चा की जानी चाहिये। आज के भाषणों से यह परिलक्षित होता है कि यह महान राष्ट्र प्राचीन धरोदर को सुरक्षित रखने और नवीन ज्ञान प्राप्त करन को उत्सुक हैं। इस क्षेत्र में कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। हमारी प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान एक अजस्र धारा की तरह है तथा वह स्कूल या कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं। यदि शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाना है तो पुस्तकालयों को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। इसलिए सरकार पुस्तकालय आन्दोलन को उच्चस्तर पर चलाने के लिए वचन बद्ध है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों एवं राजाराम मोहन राय स्मारक संस्थान के सहयोग से आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने में पहल की है। देश म पुस्तकालय आन्दोलन को विकास और उसे सुदृढ करने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे।

[प्रो० एस० नुरूल हसन]

चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय पुस्तकालय पर कुल 187·05 लाख रुपये व्यय किये गये थे और पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान 470 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। सभा ने इस बात की मंजूरी दी है कि इस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय पर 64 लाख रुपये व्यय किये जायें। यह राशि पर्याप्त तो नहीं लेकिन पहले के मुकाबले में इस राशि में काफी बढ़ोतरी हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार इस विषय में काफी रुचि ले रही है।

यदि राष्ट्रीय पुस्तकालय उच्च स्तर की बौद्धिकता का विकास करना चाहता है तो इसका प्रबन्ध अत्यधिक प्रबुद्ध लोगों के हाथ में होना चाहिए। इसे प्रतिदिन के उन नियमों में नहीं बांधा जा सकता, जिनसे एक सरकारी विभाग में नहीं बचा जा सकता। इसलिए यद्यपि अन्तिम जिम्मेदारी संसद की है परन्तु इसके शैक्षिक प्रबन्ध और प्रतिदिन के कार्यों के लिए इसे स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए और इसका प्रबन्ध योग्य व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। यह स्वायत्तता केवल संसद ही प्रदान कर सकती है। इसी विचार से यह विधेयक सदन म लाया गया है।

बोर्ड म संसद् का कुछ प्रतिनिधित्व होगा। कुछ राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे क्योंकि ऐसी राष्ट्रीय संस्थाओं में उनका सहयोग उपयोगी होगा। चार प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों के होंगे तथा एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। वह कोई प्रतिष्ठित विद्वान होगा। एक पुस्तकालयाध्यक्ष भी उसम शामिल किया जायेगा, जो किसी ऐसे पुस्तकालय से सम्बन्धित होगा जिसे सरकार ने महत्वपूर्ण घोषित किया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के निदेशक भी बोर्ड म होंगे।

बोर्ड में आठ प्रसिद्ध विद्वानों को भी शामिल किए जाने का उपबन्ध है। दो व्यक्ति पुस्तकालय के कर्मचारियों में से होंगे क्योंकि वे इस व्यवसाय के लोग हैं तथा वें उसे चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। पुस्तकालय का एक निदेशक होगा तथा प्रशासन और वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित दो अधिकारी होंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय पुस्तकालय के सम्बन्ध में अपने उत्तर-दायित्व से बचने की कोशिश रही है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार का इस उत्तर-दायित्व से बचने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रति अपने उत्तरदायित्व को वह निभाती रही है।

निदेशक की नियुक्ति विजिटर करेगा। उसका वेतन पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसके अधीन एक पुस्तकालय होगा। निदेशक एक प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति ही होगा।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जायगी। इस विधेयक के पास होने से कर्मचारियों को अपने अधिकार या विशेषाधिकार नहीं खोने पडगे।

यह सुझाव दिया गया है कि देश के विभिन्न भागों से राष्ट्रीय पुस्तकालय में आने वाले विद्वानों को आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। इस समय इससे एक होस्टल और अतिथि गृह सम्बद्ध है तथा उसकी दर जानकर कम रखी गई है जिससे विभिन्न विश्वविद्यालयों से आने वाले युवक ज्ञानार्थी वहां आ कर जब तक आवश्यक हो तब तक ठहर सकें। अतिथि गृह में स्थान बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पुस्तकालय विज्ञान विभाग में पाण्डुलिपि सम्बन्धि एक अनुसन्धान खण्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। सरकार इस सुझाव पर सावधानी से विचार करेगी।

राष्ट्रीय पुस्तकालय में बडी संख्या म पाण्डुलिपियां हैं। पाण्डुलिपियों के रखरखाव में सुधार करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन और कतिपय अन्य सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करते हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खंड 4

उपाध्यक्ष महोदय : तीन संशोधन हैं । क्या मंत्री अपने संशोधन पेश कर रहे है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सुबोध हंसदा अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : जी हां ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं इसका समर्थन कर रहा हूं ।

संशोधन किए गए ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

"(iv) four persons to represent the Universities in India, to be nominated in the prescribed manner.

[(चार) भारत के विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिये चार व्यक्ति, जिन्हे विहित रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाय]

Explanation.—For the purpose of this clause "University" has the meaning assigned to it in the University Grants Commission Act, 1956 and includes an Educational Institution declared by Parliament by law to be an Institution of National importance."

[व्याख्या— इस खण्ड के प्रयोजनार्थ "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में दिया गया है और इसम ऐसी शिक्षा-संस्था सम्मिलित है जिसे संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है ।"

(संशोधन संख्या 3)

[प्रो० एस० नुरूल हसन]

पृष्ठ 2. पंक्ति 48, "by rotation in the alphabetical order". (वर्णानुक्रम में चक्रानुक्रम द्वारा) का लोप किया जाये।

(प्रो० एस० नूरल हसन)
(संशोधन संख्या 4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 के बाद, "(xii-a) One person to be nominated by the Government of West Bengal to represent that Government (पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किया जाये)" अन्तः स्थापित किया जाये।

(श्री सुबोध हंसदा)
(संशोधन संख्या 5)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 4, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 4, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खंड 5 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 5 to 10 were added to the Bill.

खंड 11

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सुबोध हंसदा अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : जी. हां।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं इसका समर्थन करता हूँ।

किया गया संशोधन--पृष्ठ 5, पंक्ति 16,—
"Library" (पुस्तकालय) के बाद, यह अन्तः स्थापित किया जाये—

"and a representative of the Government of West Bengal
(और पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि)" अन्तः स्थापित किया जाये।

(श्री सुबोध हंसदा)
(संशोधन संख्या 6)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 11, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खंड 12 से 31 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 12 to 31 were added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया पृष्ठ 1, पंक्ति 5,—

"1974" के स्थान पर "1976" प्रतिस्थापित किया जाये।

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

(संशोधन संख्या 2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 1, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया —

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—"Twenty fifth" (पच्चीस) के स्थान पर "Twenty-seventh" (सत्ताईस) प्रतिस्थापित किया जाये।

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

प्रो० एस० नूरुल हसन : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक संशोधित रुप में, पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

चाय संशोधन विधेयक
TEA (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि चाय अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

हाल ही के वर्षों में चाय उद्योग के सामने वित्तीय, प्रबन्ध कुशलता आदि सम्बन्धी कठिनाईयां आई हैं । बहुत से चाय बागान बन्द हो गये हैं, अन्य संकट म हैं अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और यदि सही और उपचारात्मक कदम नहीं उठाए जाते तो उनके बन्द होने का भय है । इस स्थिति से बेरोजगारी की समस्या या वित्तीय कठिनाई ही पैदा नहीं हुई है वरन् इसका उत्पादन पर भी और चाय के निर्यात पर पर भी प्रभाव पडेगा ।

इन कठिनाइयों को हल करने के लिए और उचित कदम उठाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि इन संकटग्रस्त चाय बागानों की जांच की जाए तथा उन बागानों का प्रबन्ध हाथ में लिया जाए जिनकी जांच किए जाने पर यह कदम उठाना उचित समझा गया है ।

चाय अधिनियम, 1953 में संकटग्रस्त और अलाभकारी चाय बागानों का प्रबन्ध हाथ में लेने का कोई उपबन्ध नहीं है । वर्तमान विधेयक चाय अधिनियम, 1953 म औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अनुसार संशोधन करने के लिए लाया गया हैं । जिसके द्वारा सरकार को कुछ परिस्थितियों म औद्योगिक उपक्रमों को हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है । इसके पीछे यह उद्देश्य था कि जांच के आदेश दिए जाएं तथा कारखानों को उचित अथवा सुरक्षात्मक कार्रवाही करने को कहा जाए । यदि उनके यह प्रयत्न पर्याप्त सिद्ध नहीं होते तो सरकार को ऐसे चाय बागानों को अधिक से अधिक सात वर्ष के लिए अपने हाथ म लेने का अधिकार होगा ।

विधेयक में परिसमापन या पुनर्निर्माण के द्वारा कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति को बेचने का अधिकार होगा ।

किसी चाय बागान का प्रबन्ध हाथ में लिए जाने का निर्णय करने पर उसका प्रबन्ध किसी सरकारी क्षेत्र के निगम या किसी निजी प्रबन्ध या सरकार जिसे उचित समझे उसको सौंपा दिया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया : "कि चाय अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

*श्री **जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : चाय उद्योग देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है । इसका राष्ट्रीयकरण किए जाने की बराबर मांग की जाती रही है परन्तु उसे अभी तक नहीं माना गया ।

देश के चाय बागानों में कोई सुधार नहीं हुआ है । न तो चाय को खेती का क्षेत्र बढ़ा है और न ही उनकी संख्या । इन बागानों के मालिक भारतीय व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाने में ही रुची रखते हैं । उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया और नहीं इस उद्योग में और रुपया लगाया । इन परिस्थितियों में इनका राष्ट्रीयकरण ही एक निदान है, परन्तु यह विधेयक इस दिशा में कुछ भी करने में असमर्थ है ।

*बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarized translated version based on English Translation of the speech delivered in Bangla.

विधेयक में चाय बागानों में हानि होने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यदि किसी चाय बागान में हानि अनिवार्य है तो सरकार द्वारा उसे हाथ में लेना उसका उपचार नहीं है। दूसरी ओर, यदि यह हानि कुप्रबन्ध के कारण हुई है तो उसे अच्छी अवस्था में करने के बाद फिर से उसके मालिकों को सौंपने का कोई औचीत्य नहीं है। वह फिर से संकट में पड जाएगा

यह उपबन्ध किया गया है कि सरकार किसी व्यक्ति अथवा निकाय की नियुक्ति कर चाय उपक्रमों अथवा चाय एकक की पूरी जांच करा सकती है। हमारा यह अनुभव है कि अब कभी इस तरह की जांच की गई है, उससे बहुत विलम्ब किया गया है। इस तरह की जांचो के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

यह उपबन्ध कि किसी चाय बागान को अपने हाथों में लेने के पश्चात उस बागान का प्रबन्ध पुन: उसके मालिक को दे दिया जायेगा, उचित नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

यह उपबन्ध किया गया है कि किसी चाय बागान के मालिक के ऐसे आवेदन पत्र पर, जिसमें लिखा हो कि अपने नियंत्रण में लेने का उद्देश्य पूरा कर दिया गया है, नियंत्रण में लेने की अधिसूचना रद्द की जा सकती है। इस उपबन्ध के द्वारा नौकरशाही को व्यापक शक्तियां दी गई हैं जिससे वे अपने या चाय बागान के मालिक के पक्ष में हेराफेरी कर सकते हैं। इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : श्रीमन्, गत कुछ वर्षों के दौरान कुछ चाय बागान रुग्ण घोषित किये गय हैं और इसके परिणामस्वरुप बड़ी स ख्या में श्रमिक बरोज़गार हो रहे हैं। चाय बागान वाले कुल क्षेत्र में धीरे धीरे कमी हो रही है क्योंकि बागान के मालिको का प्रबन्ध ठीक नहीं है। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये, उत्पादन बढ़ ने और श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिये, ताकि वे बेरोज़गार न हो, सरकार ने यह विधेयक पेश किया है।

यदि 1953 के हालात से तुलना की जाय तो 1953 के चाय अधिनियम में समग्ररुपेण परिवर्तन की जरुरत है। मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

गत कुछ वर्षो के दौरान कुछ चाय बागान रुग्ण घोषित किये है और इसके फलस्वरुप बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोज़गार हो रहे हैं। चाय बागान के कुल क्षेत्र में धीरे धीरे कमी हो रही है क्योंकि बागान के मालीकों का प्रबन्ध ठीक नहीं है। उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये उत्पादन बढ़ाने और श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिये, ताकि वे बेरोज़गार न हों सरकार ने यह विधेयक पेश किया है।

विधेयक में सभी चाय एकक तथा कम्पनियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। केवल उन्ही कम्पनियों को विधेयक में शामिल किया गया है जो कि भारत में पंजीकृत हैं। और जो कम्पनियां भारत में पंजीकृत नहीं हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। इस विधेयक में सभी कम्पनियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए यदि वे भारत में अथवा भारत के बाहर पंजीकृत हों।

1953 के मूल चाय अधिनियम में यह उपबन्ध थे कि यदि कोई चाय बामान का मालिक भविष्य निधि या अन्य प्रकार की देय राशि के भुगतान में किसी तरह की मड़बड़ी करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। यदि कोई भी यह जानना चाहेगा कि क्या वर्तमान धाराओं को इन चाय बागानों को इन चाय बागानों के मालिकों विरुद्ध समुचित ढंग से लागू किया जा रहा है और यदि हां तो कितने मामलो में कार्यवाही की गई है।

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए]

[SHRI P. PARTHASARATHY in the Chair.]

[श्री बी० के० दास चौधरी]

दार्जीलिंग जिले में गया गंगा चाय सम्पदा का एक मामला है। इस मामले में चाय बागान के मालिक के पुनः चाय उगाने के लिए दी गई राज सहायता में गड़बड़ी की [redacted] पता लगने पर भी सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। मन्त्री जी को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में अन्तर्गस्त अधिकारी को दण्ड दिया जाय।

विधेयक में एक उपबन्ध है कि कोई भी चाय बागान सात वर्षों के लिए लिया जायेगा और यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो सात वर्षों के पश्चात उस बागान को पुनः उसके मालिक को वापस कर सकती है। अब यदि इस अवधि के दौरान उस उद्योग पर 10 लाख रुपये का निवेश कर दिया जाता है और उस अवधि के दौरान होने वाले लाभ से निदेशक की पूरी राशि की वसूली नहीं होती है तो ऐसे में समूचे बागान का अधिग्रहण कर दिया जाना चाहिए या उसे सरकार को अथवा सरकारी निगमों के पास गिरवी रख लिया जाना चाहिए। विधेयक में इस तरह का उपबन्ध बनाया जाना चाहिए।

सरकार को स्पष्ट रुप से कह देना चाहिए कि रुग्ण चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने के पश्चात् उनका प्रबन्ध कार्य केवल राज्य निगमों, सहकारी समितियों अथवा टी० टी० सी० आई० को सौंप दिया जायेगा। टी० टी० सी० आई० पहले ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है और दार्जीलिंग ज़िले में यह एक चाय बागान का प्रबन्ध चला रहा है।

मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि चाय बागानों को सात वर्ष के पश्चात् भी वापस उनके मालिकों को नहीं लौटाया जाना चाहिए। यदि यह अधिक लाभप्रद होगा तो बढ़िया किस्म का उत्पादन करेगा। मालिकों को कुछ क्षतिपूर्ति दे दी जानी चाहिए किन्तु चाय बागान केवल राज्य चाय निगमों टी० टी० सी० आई० अथवा सहकारी समितियों को दे दिए जाने चाहिए।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : यह विधेयक सभा में विलम्ब से पेश किया गया है। किन्तु बिलकुल पेश न करने से तो देर से पेश कर देना ही ठीक है। यह मामला गत चार वर्षों से यों ही लटका हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार कुछ रुग्ण चाय बागानों को 1972 में अपने अधिकार में लेना चाहती थी। आसाम सरकार भी 1972 में कुछ रुग्ण तथा बन्द बागानों को अपने अधिकार में लेना चाहती थी। यह सारा मामला केवल इस बात पर निलम्बित रखा गया कि चाय उद्योग के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्य दल की स्थापना की जायेगी। इस कार्यदल की स्थापना 1973 में की गई थी। इस दल का प्रतिवेदन मन्त्री जी को दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुआ। उसकी सिफारिश यह है कि चाय बागानों को सरकार अपने अधिकार में ले ले। ढ़ाई साल बाद मन्त्री जी ने यह विधेयक पेश किया है जिसमें गम्भीर त्रुटियां हैं।

पहली त्रुटि यह है कि विधेयक का उद्देश्य रुग्ण तथा बंद एककों को अपनी अधिकार में लेना, सरकारी धन से उनकी स्थिति को सुधारना और फिर उन्हें उनके पुराने मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देना है। दूसरी गलती यह है कि यह विधेयक अनावश्यक रूप से चाय अधिनियम का संशोधन कर रहा है। सरकार को चाय अधिनियम में ही कुछ उपबन्ध करने चाहिए थे जो कि औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम के उपबन्धों से बेहतर होते। तीसरा दोष यह है कि इससे श्रमिकों के आधारों पर प्रभाव पड़ता है।

चाय उद्योग का इतिहास घृणित सा रहा है। सरकार को चाय बागानों के मालिकों के विरुद्ध कई मामले चलाने पड़े हैं। सरकार के प्रतिवेदन में स्वयं यह कहा गया है कि चाय बागानों के प्रबन्ध में पूर्ण अव्यवस्था है। वहां चोरी, उठाई गिरी तथा सरकारी धन को उड़ाने की कई घटनाएं हुई हैं।

कई चाय बागान के मालिकों ने श्रमिकों की भविष्य निधि का पैसा उन्हें नहीं दिया है। जहां तक आवास ऋण का सम्बन्ध है, उन्होने इसे लेने से इन्कार कर दिया और जब कभी यह ऋण लिया भी है तो उन्होंने उस धन से केवल अधिकारियों के लिये ही बंगले बनवाए हैं। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, उन्हें मकान नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उनके चिकित्सा व्यय में भी कटौती की गई है। अस्पताल की सुविधाएं भी कम कर दी गई हैं। अब चाय बागानों में ग्रुप अस्पताल हैं। वे भी एक-एक करके कम किये जा रहे हैं।

इस संशोधनकारी विधेयक में सरकार ने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम की धारा 18 च, ख का सहारा लिया है। इस संशोधनकारी विधेयक से श्रमिक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस संशोधनकारी विधेयक को उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के साथ अनावश्यक रूप से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए पहले चाय अधिनियम को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। मन्त्री जी चाय अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां ले सकते थ। संविधान मन्त्री जी को वह अधिकार प्रदान करता है। इससे कई त्रुटियां दूर की जा सकती थी।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : We have been hearing of take over and nationalisation since 1957. The Bill provides for take over of such tea gardens for five years in the first instance and with two extensions of one year each it provides for a total period of 7 years after which the tea gardens are proposed to be returned to the owners. May I know since the enactments of industries (Development and Regulation) Act 1951 which of the Industries have been taken over and were returned after reference.

At present many tea gardens and factories are lying closed. They are the amount of wages, provident fund etc. to the workers.

There was no provision for take over in Tea Act, 1953. The Government has added provisions of Industries (Development & Regulation) Act after reducing the time limit from 12 to 7 years.

The Hon. Minister has admitted that amount of lease of land, wages of workers, excise duty, rent of houses etc. is pending against these tea gardens. How would the Government improve them in 7 years. If the Government does not want to nationalise the tea gardens it should hand them over to the co-operatives of the employees. The tea industry earn 200 crores of rupees worth foreign exchange. The dues of the workers should be cleared.

Shri Tuna Uraon (Jalpaigudhi) : I support this Bill. Ever since the tea gardens were closed, I have been demanding that the Government should attend to this problem urgently.

In the statements of objects and reasons of the Bill it has not been mentioned that employees have not been paid their wages, provident fund etc.

As per provisions the Government can take over the tea garden for a maximum of 7 years. Would you hand over to the owners from whom you have taken over them? Further there are various companies registered in England. You can take over the tea gardens which are registered here. Please look into this definition.

I feel that the owners of tea gardens who have withheld the wages, provident fund of the workers own various other industries.

I will suggest that Government should forfeit the property of those tea garden owners who have not paid the Provident Fund amount of their employees. After five or seven years, the administration of tea-units taken over by the Government, should be entrusted to Co-operatives or labour. Cooperatives rather than giving them back to those people who exploited them with these words, I support the Bill.

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं मन्त्री महोदय को विधेयक को पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

[श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी]

उद्योग मन्त्रालय ने कुछ दिन पहले औद्योगिक नीति की घोषणा की है। उन्होंने कहा था कि सरकार का प्रमुख दृष्टिकोण उन रुग्ण एककों में वित्तीय संसाधनों का निवेश करना नहीं है जिनमें लाभ नहीं होगा। सरकार नई नीतियों को लागू करना चाहती है। और यदि सरकार किसी तरह से किसी रुग्ण एकक को विकसित करने का निर्णय कर भी लेती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठायेगी और उसे पुनः उन हाथों नहीं सौंपेगी जिन्होंने उनका शोषण करके उनकी ऐसी दुर्दशा की है। ऐसा लगता है कि इस विधेयक में श्री टी० ए० पाई तथा वाणिज्य मन्त्री का दृष्टिकोण परस्पर विरोधी है। मन्त्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

विधेयक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पांच वर्षों बाद नहीं तो 7 वर्षों बाद उन एककों को उनके मालिकों को सौंप दिया जायेगा? यदि चाय बागान के मालिकों का स्वभाव तथा रवैया देख लेने के पश्चात भी सरकार कुछ एककों को सुधार करने के पश्चात उन्हें पांच या सात वर्षों के बाद उनके मालिकों को सौंप देने में क्या औचित्य है। इन एककों के प्रबन्ध पिछले कई वर्षों से सही रूप जान लेने पर भी उनकी स्थिति में सुधार करने के पश्चात् उन्हें उनके मालिकों को सौंप देने का सरकार का निर्णय गलत है।

मन्त्री जी ने जैसा कि विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है, कहा है कि इन एककों को अपने हाथ में लेने के पश्चात उनका प्रबन्ध कार्य सरकारी क्षेत्र के निगम या सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध अथवा गैर-सरकारी ऐजेन्सी या किन्ही गैर-सरकारी व्यक्तियों को सौंप दिया जायेगा। यदि इन एककों का प्रबन्ध कार्य इन निकायों को सौंप देना है, जिनमें कि निहित स्वार्थ है तो फिर उन्हें अपने हाथ में लेने का क्या लाभ है ?

राष्ट्रीकृत बैंकों के कुछ अधिकारी चाहे वे युनाइटेड बैंक के हों अथवा युनाइटेड कमिशियल बैंक के, राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा उसके पश्चात चाय बागान एककों में बहुत ही विशेष प्रकार की भुमिका निभा रहे हैं। उन्होंने रुग्ण तथा स्वस्थ चाय बागान एककों के प्रबन्ध पर व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करके कुछ हद तक अपना नियंत्रण कर लिया है और कभी कभी वे बैंकों की नीति का उल्लंघन करके उन्हें ऋण दे देते हैं। वित्त मन्त्री को गत 4-5 वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा चाय बागानों के वित्त पोषण सम्बन्धित कार्यों की पूरी जांच करनी चाहिए।

चाय बागान क्षेत्रों में बिजली एक महत्वपूर्ण वस्तु है। ये इन चाय बागानों का क्षेत्र पश्चिम दीनजपुर से शुरु होता है और दार्जीलिंग की तराई घाटी तक जाता है और फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैला हुआ है। उस क्षेत्र में बिजली की अत्याधिक कमी है। चाय बागानों के मालिकों को डीजल यूनिट खरीदने पड़ते हैं। जिन जनरेटरों को उपयोग में नहीं लाया जाता उन्हें काले बाजार में बेच दिया जाता है। यही कारण है कि वर्षों से उन चाय बागानों में उत्पादन में वृद्धि नही हुई है। इन मामलों को अन्तिम रूप देने से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण सदन को दें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Hari Singh (Khurja) : I congratulate the Minister for bringing forward this Tea Amendment Bill which is a timely move. Tea gardens of the country not only provide employment to more than 2 lakh workers in the country but we also earn foreign exchange worth rupees two crores through tea-export. For quite sometime many of our tea-units were not functioning properly which was leading to unemployment and loss of foreign exchange. The object of this amending Bill is to overcome these problems and ensure efficient functioning of tea-units.

Many of my colleagues are asking for the nationalisation of tea-gardens but I personally feel that we should not insist for the nationalisation of each and every thing. If some of the units are not functioning satisfactorily then Government can think of taking over those units. A provision for taking over sick tea-gardens has already been made in the present Bill. It is also a matter of satisfaction that a provision has also been made according to which tea-garden owners will not be allowed to give their tea-estates to contractors on permanent basis. If some of the tea-units are taken over by the Government those will be handed over to owners at a later stage as we did in the case of sick textile mills.

Lastly I may submit that the companies which are registered in foreign, should also be brought within the purview of this Bill. It is necessary for the security of service of people employed in such companies. With these words I support the Bill.

Shri M. C. Daga (Pali): I just want to make two or three submissions. Firstly I may submit that the amending Bill provides that Central Government can investigate into the affairs of any tea-units. But no time has been specified for such an investigation. It should be clarified that how long such an investigation will take?

In financial memorandum it has not been made clear as to how many tea-gardens will be taken over by the Government and how much money will be invested on them. This information should be provided to the House.

It is estimated that in the year 1976-77, the expenditure towards legal costs will be Rs. 15,000. This provision appears to be inadequate. More money should be provided by the Government for this purpose.

Lastly I may submit that the expenditure on administrative machinery for investigation into the affairs of tea-gardens is rupees 2 lakhs for the period 1976-77. This appears to be insufficient. It is desired that position with regard to these estimates should also be clarified by the Minister.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : जिन माननीय सदस्यो ने इस विधेयक सम्बन्धी चर्चा में भाग लेकर अपने सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए हैं, मै उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा प्रतित होता है कि सदस्यों को कुछ यह गलतफहमी है कि हम चाय बागानो को पांच अथवा कुछ मामलों में छः या सात वर्ष तक अपने अधिकार मे रखकर बाद में उन्हें उनके मालिकों को लौटा देगे जोकि उसके कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार हैं। में इस गलत फहमी का निराकरण करना चाहता हूं। निश्चय ही हम इन चाय बागानों को उनके मालिकों को वापस नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य उत्पादिता को बढ़ाना तथा जिन लोगों ने चाय बागानों के बन्द होने के परिणामस्वरूप रोजगार खो दिया था उन्हें पुन्हा रोगजार देना है। अन्तः यदि दो मुख्य उद्देश्य हैं जिन्हें हमें शिघ्र प्राप्त करना है।

यह भी प्रश्न किया गया है कि केवल पांच अथवा सात वर्षों तक ही क्यो चाय बागान सरकार अपने अधिकार में रखेगी। इसका उत्तर यह है कि पांच अथवा सात वर्ष की अवधि एकक को उसकी सामान्य अवस्था में लाने के लिए पर्याप्त होती है। हमारे विचार में इन बागानों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सात वर्ष से अधिक समय नही लगेगा। कुछ औद्योगिक एककों में थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है लेकिन चाय बागानों के पौधो के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए हमारे विचार में सात वर्ष का समय इन बागानों को सामान्य स्थीत में लाने के लिए पर्याप्त है।

यह भी पूछा गया है कि पांच अथवा सात वर्ष के बाद क्या होगा। कुछ अन्य मामलो में हमने राष्ट्रीय करण के उपाय किए गए है। इस सम्बन्ध में मैं यह नही कह सकता कि हम इनका राष्ट्रीयकरण कर देगे क्योंकि इस अवस्था में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है और न ही विधेयक का इससे कुछ सम्बन्ध है।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

एक प्रश्न यह भी किया गया है कि कुछ प्रमुख कम्पनियो को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में क्यों नहीं लाया गया है। कानूनी रूप से इन कम्पनियो को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाना कठिन है। दूसरे यह प्रमुख कम्पनियां घाटे में नहीं चल रही है अतः इनके अधिग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही ऐसी कम्पनी को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में उल्लेख किया है। मैं उनकी दुर्दशा से अच्छी तरह परिचित हूं। यह सच है कि कुछ चाय बागान मालिकों ने सांविधिक दायित्व नहीं निभाए हैं लेकिन यह बात सब पर समान रूप से लागू नहीं होती।

उद्योग की लाभप्रदता के बा में भी उल्लेख किया गया है। कई उद्योगों का घाटे में चलना इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि चाय उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है।

जहां तक चाय उत्पादन में वृद्ध का सम्बन्ध है उत्पादन में अधिक ृद्धि नहीं हुई है अपितु उसके मूल्य में वृद्धि हुई है। मुझे यह अच्छी तरह मालूम नहीं है कि क्या यह प्रवृत्ति नियमित है। इसके विपरित चाय विश्व के उन अनेक पदार्थों में से एक है जिसके मूल्य में वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए इसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है। विश्व में चाय की खपत बढ़ रही है। लेकिन हमारी चाय के निर्यातमें अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

जहा तक अपने अधिकार में लेने के बाद इन एककों को सोंपने का प्रश्न है हम यह एकक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को देंगे चाहे वह केन्द्र सरकार की हो अथवा राज्य सरकार की। अथवा हम इन्हें सहकारी समितियों, कर्मचारियों की सहकारी समितियो अथवा उपयुक्त गैर-सरकारी एजेन्सियो को देंगे। हमें इन एकों को गैर-सरकारी एकको को देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमें चाय क्षेत्र के बारे में खास अनुभव नहीं है। चाय उत्पादन एक नाजूक काम है यह कोई सामान्य उद्योग की भांति नहीं है। अगर हमें चाय बागानो को गैर सरकारी मालिकों को सोंपने की आवश्यकता पड़ी तो इन बातों को सुनिश्चित करने के बाद कि क्या वह चाय बागानो की व्यवस्था अच्छी तरह कर सकते हैं तथा क्या वह संकटग्रस्त एकको को पुन्हा चालू करवा सकने के क्षम्य होगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं जानना चाहता हूं कि बन्द एकको का अधिग्रहण किए जाने के बाद क्या उन कर्मचारियों के हितो का संरक्षण भी किया जायगा, जो मुख्यालयों अथवा अन्य कार्यालयो में कार्य कर रहे है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारा उद्देश्य यही है।

Shri Tuna Uraon (Jalpaiguri) : How the arrears of Provident Fund of the workers pending with the plantation owners would be collected ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अधिग्रहण के बाद हमें इसे अनिवार्य कर देंगे। अधिग्रहण के बाद की राशि हम देंगे तथा पहले की राशि के बारे में हम हिसाब लगायेंगे कि इस में कितना समय लगेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :
The motion was adopted.

[श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुए]

[SHRI G. VISWANATHAN in the Chair.]

सभापति महोदय : अब हम खण्ड वार चर्चा आरम्भ करेंगे ।

खंड 2

Clause 2

श्री बी० वी० नायक : (कनारा) मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3, 4 और 5 पेश करता हूं ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 पेश करता हूं ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैंने अपना संशोधन मंत्री महोदय तथा सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए पेश किया है । संशोधन में उन एककों पर जिन का हमने अधिग्रहण कर लिया है और जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है, कुछ सीमायें लगाने का प्रयास किया गया है । यदि हम यह समझते ह कि अमुक एकक स्थायी रूप से अलाभप्रद रहेगा और उसमें कभी भी कोई लाभ नहीं होगा तो उस का अधिग्रहण करने और उस पर धन खर्च करने की बजाये उसे बन्दकर दिया जाना चाहिए । मैं मानता हूं कि इसमें एक मानवीय समस्या है और वह समस्या उन कर्मकारो की बेरोजगारी की समस्या है, जो ऐसे अलाभप्रद एककों के काम कर रहे हैं । उन व्यक्तियों को ऐसे एककों में खपाया जाना चाहिए जिन की लाभप्रद होने की सम्भावना हो । ऐसा करने से उन की बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी । अतः अधिग्रहण किए जाने वाले एकक का वर्तमान आकार और भावी उत्पादिता संभाव्यता ऐसी होनी चाहिए । जिस से बाद में वह लाभप्रद बन सके । इसलिए इस परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए । ऐसे एककों के अधिग्रहण से कोई लाभ नहीं होगा, जो आर्थिक रूप से लाभप्रद एकक नहीं बन सकते ।

मैं समझता हुं कि उन प्रबन्धको को जो कि एकक के प्रबन्ध, भविष्य निधि का भुगतान किये जाने के जिम्मेदार है उनको या तो दिवालिया घोषित करके उन्हें देय राशि देने को बाध्य किया जाना चाहिए अथवा उन्हें कोई प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिए । ऐसे प्रबन्धकों को एककों को वापस करने का तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri : All the four amendments moved by me seek to amend Section 2 of the Bill.

My first amendment relates to clause 16B(c) which reads as under:—

(c) the persons owning the tea undertaking or as the case may be, the tea-unit, have habitually made default in payment of wages or Provident Fund dues of workers and other employees or rent of the land or duties of excise or such other dues as they are under an obligation to pay under any law for the time being in force.....

My amendment is that after the word "fund" the words "and other" be inserted so that not only the non-payment of provident fund but non-payment of other dues is also covered under this Clause.

It has been provided in clause 2 of the Bill that Government would take over for a period of five years and after the expiry of the period of five years it may extend the time by one year at a time but not more than a period of two years in all i.e., not more than seven years in all and thereafter the unit would be returned either to a Government Corporation or a private company. My amendment is that the

[Shri Ramavatar Shastri]

time limit of seven years should not be there. The Government should have the authority to retain any unit under it's control permanently if it so desires. So this section should be suitably amended.

My last amendment relates to the providing protection to the workers, which reads as follows:—

"Provided further that the services of the officers employees and workers working in the tea undertaking or the tea-unit, as the case may be, after take over by the Government may be retained and their srvices may be counted from the date of their appointments in the private tea undertaking or the tea-unit, as the case may be."

This amendment is essential for providing protection to the workers as the bill is silent in this regard.

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए]

[SHRI P. PARTHASARATHY in the Chair]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधनों के बारे में संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

इस विधेयक की शब्दावली अस्पष्ट है। प्रस्तावित धारा 16-क में दी गई 'प्राधिकृत व्यक्ति' की परिभाषा के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है इस अधिनियमन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी चाय उपक्रम या चाय एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत या नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय। परन्तु बाद में विधेयक के मूल भाग में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को संपूर्ण चाय उपक्रम या चाय एकक या उस के किसी भाग का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। इस प्रकार सरकार गैर सरकारी चाय बागान मालिकों के संघ को भी किसी एकक विशेष का प्रबन्ध ग्रहण करने या उसका संचालन करने के लिए नियुक्त कर सकती है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जांच के बाद सरकार एकक का प्रबन्ध ग्रहण करेगी और तत्पश्चात् सरकार उस चाय एकक के प्रबन्ध के लिए अपनी ओर से किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों या किसी कस्टोडियन की नियुक्ति कर सकेगी। वह व्यक्ति सरकार के के वल एक एजेन्ट के रूप में काम करेगा। विधेयक में यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैंने अपना पहला संशोधन इस लिए पेश किया है।

अब मैं बाकी सभी संशोधनों को एक साथ लेता हूं। मेरा दूसरा संशोधन पृष्ठ 2, पंक्ति 36 में एक परन्तुक जोड़ने से सम्बन्धित है। मैं चाहता हूं कि किसी चाय उपक्रम या चाय एकक की स्थिति की जांच करने की अधिकतम अवधि की समय सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए। यदि माननीय मंत्री सोचते है कि छः महीने की समय सीमा बहुत कम है, तो वह कोई अन्य समय सीमा निर्धारित कर दें, परन्त समय सीमा अवश्य होनी चाहिए अन्यथा इस बात की जांच करने के नाम पर कि कोई चाय बागान रुग्ण है अथवा नहीं, कभी जांच समाप्त ही नहीं होगी।

वर्तमान विधेयक के उबपन्धों के अन्तर्गत सरकार किसी रूग्ण एकक का प्रबन्ध ग्रहण पांच वर्ष के लिए कर सकेगी और फिर एकक वर्ष करके इसे अधिकाधिक दो वर्षों के लिए और बढ़ा सकेगी। विस्तारण अवधि दो वर्ष के स्थान पर बढ़ा कर पांच वर्ष की जानी चाहिए। इस तरह सरकार प्रबन्ध ग्रहण अधिकतम सात वर्ष की बजाय दस वर्ष तक कर सकेगी। मैं समझता हूं कि दस वर्ष की अवधि के बाद स्वयं यह संसद ही सरकार को उन बागान को उन मालिकों को लौटाने की अनुमति नहीं देंगी, जो कि उन के कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार थे।

श्री प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन आवश्यक नहीं है। विधयककों ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि शब्दावली अस्पष्ट नहीं है। धार 16-क में वह "केन्द्रीय सरकार की ओर से" शब्द जोड़ना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं कि धारा 16-क में दी गई "प्राधिकृत व्यक्ति" की परिभाषा की भाषा औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के समान है। कई अन्य मामलों में भी हमने इस भाषा का अनुसरण किया है और अनुवर्ती कार्यवाही भी की गई है। अतः हम कोई नई बात नहीं करने जा रहे है।

दूसरी बात यह है कि क्या हम उन एककों का प्रबन्ध ग्रहण करने जा रहे हैं, जिन्हें पूरी तरह सुधारने के बाद भी लाभप्रद स्थिति में नहीं लाया जा सकता। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अध्याय 3 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार चाय उपक्रम या चाय एककों के समापन का पुनर्गठन के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने का प्रस्ताव है। अतः हम और किसी एकक को अपने हाथ में नहीं लेंगे। अपने प्रबन्ध में लेने से पहले ऋणों के समापन के बाद उन एककों को अवश्य लाभ प्रद होना चाहिए। हम किसी और एकक का प्रबन्ध ग्रहण करके सरकारी धन का अपव्यय नहीं करेंगे।

इन एककों को अपने अधिकार में लेने के पश्चात इनका प्रबन्ध कार्य सौंपने के लिए सरकार किसी भी निकाय को प्राथमिकता दे सकती है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास कई कम्पनियां हैं जैसे बालमेर, लॉरी एण्ड कम्पनी, एन्ड्रयू यूल और इण्डियन टी ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा सरकारी क्षेत्र के निगम जैसे आसाम टी कारपोरेशन आदि आदि। यदि कुछ राज्य सरकारें कुछ निगम बनाती है, तो निश्चय ही हम उन पर विचार करेंगे या कुछ चाय बागान के मालिकों के चाय बागान रुग्ण हो गये हैं उन का प्रबन्ध कौशल्य अच्छा है तो उनके मामलों पर भी विचार किया जाएगा।

सभापति महोदय : अब मैं सभा की अनुमति से सब संशोधन को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। मैं समझता हूं कि श्री नायक अपने संशोधन पर मतदान नहीं चाहते।

श्री वी० पी० नायक : जी हां।

सभापति महोदय : क्या श्री नायक को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment by leave was withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं शेष सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा शेष सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक
WORKMEN'S COMPENSATION 'AMENDMENT' BILL.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में, औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में अथवा विशेष व्यवसाय जनक बिमारी जिसके परिणामस्वरूप यदि कर्मकार की मृत्यू हो जाती है अथवा अपंग हो जाता है तो उसे और उसके परिवार को प्रतिकर देने की व्यवस्था है। यह अधिनियम रेलवे के कुछ वर्गों पर लागू होता है तथा वह कर्मकार जिनकी आय 500 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है तथा जो लोग जोखिमपूर्ण कार्य करते है जिनके सम्बन्ध में अधिनियम की अनुसूचि 2 में उल्लेख किया गया है, इस प्रतिकर के हकदार है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने से औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा व्यवसाय जनक बीमारियों के लिए प्रतिकर के भुगतान का दायित्व धीरे धीरे नियोजकों की बजाय राज्य बीमा निगम पर डाला जा रहा है। हालांकि कर्मचारी बीमा निगम के सब कारखानों पर विस्तारण में समय लगेगा। इस लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 को जारी रखा जाएगा और इसीलिए इस अधिनियम में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस की गई है।

इस अधिनियम में पिछली बार वर्ष 1962 में संशोधन किया गया था। तब से अब तक संशोधन के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए ह। फिलहाल म ऐसे संशोधन पेश कर रहा हूं जिन्हें अति आवश्यक समझा गया है।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत उन कर्मकारों को ही लाभ पहुंच सकता है जिनका वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में वर्तमान मजदूरी स्तर को देखते हुए इस सीमा को बहुत कम समझा गया है। तदनुसार प्रस्ताव यह है कि इस सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाए। ऐसा करना इस अधिनियम को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा उपदान अधिनियम 1972 के बराबर लाना होगा।

अधिनियम की अनुसूची 4 के अन्तर्गत प्रतिकर की दरों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह इसलिए आवश्यक है कि 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच वेतन पाने वाले कर्मकारों के प्रतिकर की उपर्युक्त दरें निर्धारित की जाएं। वर्तमान विधेयक से इस वेतन क्रम में आने वाले

लोगों को लाभ होगा तथा जिन कर्मकारों का वेतन 500 रुपये प्रतिमास तक है उन्हें 62 प्रतिशत राशि अधिक मिलेगी। इस प्रकार कम वेतन पाने वाले कर्मकारों के लिए अधिक प्रतिकर की व्यवस्था की गई है।

अस्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में प्रतिकार की राशि की दरों में वृद्धि की जा रही है और सम वेतन पाने वाले मजदूरों को दिए जाने वाले प्रतिकर में भी अधिक वृद्धि की जा रही है। 1975 में हुई कुछ दुर्घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए इस संशोधन विधेयक के उपबन्धों का 1 अक्टूबर 1975 से लागू करने का प्रस्ताव है।

अब इस विधेयक पर राज्य सभा में विचार किया जा रहा था, उस समय कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों को कारगर रूप से लागू करने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। इन सुझाओं को ध्यान में रखा जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों को अधिक प्रतिकर के लिए अधिकार देने हेतु यह विधेयक अविवादास्पद है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रुप में विचार किया जाए)।"

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The Minister has rightly said that instead of raising any controversy over this Bill, it should be passed by the House. But it is unfortunate that the Labour Ministry has taken very long time so far as the question of compensation is concerned whereas they have increased Employees State Insurance and Provident Fund.

It is matter of satisfaction that the limit of wages has been raised to Rs. 1000. But what is the basis of this? The Bonus Commission has fixed the basis at Rs. 1600 and its definition has also been given. But Government is not prepared to accept this and they are keeping quiet so far as the recommendations of Bonus Commission are concerned. The Minister should explain its reasons.

There are many obstacles in the Compensation Act. Though the wages have been increased long ago the rate of compensation has not been increased yet. It is our specific charge that Government have not protected the interests of workers.

The interests of seamen have not been protected in this Bill. They have been deprived of their right. The courts have repeated their plea on the ground that their wages are more than Rs. 500/-. In this way Government is giving encouragement to the companies and they are saved by the Courts therefore this section of the society is deprived of its rights. Nothing has been mentioned about the seamen injured or dead while on their work. Government should make a clearcut statement in this regard. Now as the limit has been raised to Rs. 1000/- they must also get some benefit of this. The procedure for getting compensation should be simplified. The Compensation Act should be made more comprehensive and should include a more rationalised and simplified procedure so that the workers may understand this. The employers have been granted facility to deposit compensation amount in instalments. This facility should be withdrawn.

Compulsory deposit, Additional dearness allowance should also be included in this measure. This confusion should be cleared:

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I welcome the Bill which has been brought forward in this House. Schedule 4 of the present Bill provide for compensation of Rs. 30,000/- for a worker being died in an accident. This amount should be increased to Rs. 50,000. Similary an amount of Rs. 42,000 as compensation has been fixed for a worker who becomes permanently disable in an accident. This should also be increased to Rs. One Lakh.

[Sardar Swaran Singh Sokhi]

Government should do something for the workers who work in small factories in the private sector. The owners of these factories take work from these casual and piece workers, but they do not pay them any compensation in the event of death or accident. They also manipulate their records and registers in such a way that their liability in regard to compensation is minimum to the extent possible. This is a very serious matter and it should be looked into urgently.

Government should ensure that amount of compensation to the injured worker or to the family of the worker in the event of their death is paid as early as possible. Delay in the payment of compensation may cause hardship to the workers. Similarly the procedure or method of calculation and payment of compensation should be streamlined and simplified.

Government should consider the time of journey to and fro Office is taken as duty hours of the workers. In the event of any accident during this interperiod take place. Compensation should be paid to the infused worker or the familv of the worker who dies in such an accident.

It should be made obligatory to every factory in small scale sector to keep a first aid box or to have a small dispensary in the factory premises. This facility will enable the worker to receive prompt medical aid in the case of accidents.

With these words I support this Bill.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I support this Bill. This is a long awaited Bill. Instead of bringing piece meal amendments the Government should have brought forward a Comprehensive Bill.

A worker getting a salary of Rs. 60 per month is entitled to Rs. 7200 as compensation after his death whereas a worker getting Rs. 1000 p.m. is entitled to get a compensation of Rs. 30,000. This disparity should be reduced.

The maximum amount of compensation payable to a worker in the event of his being permanently disabled in an accident is Rs. 42,000/-. This should be considerably increased.

If any worker dies in an accident in the factory his family will get a compensation of Rs. 30,000/-. This amount of compensation should be increased to Rs. 50,000/.

Government should ensure that the amount of compensation is paid to the workers or their families expeditiously. Therefore, the procedure of payment should be streamlined and simplified in order to get compensation so many forms have to the filled.

Government have fixed an allowance of Rs. 30/- to Rs. 75/- to be paid to worker in the case of temporary disability. This is very small amount. This should be increased.

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार 19 मई, 1976/29 वैशाख 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 19, 1976/Vaisakha 29, 1898 (Saka).

भा० स० मु० ना०—वि० 1— 2 लोक सभा/76—17-8-76—200.